

D.P.S.P.-15

PRICE Rs.

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

**DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES**

INDORE REGIONAL PURCHASE UNIT

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

## **TENDER DOCUMENT**

**NOTE :** Please ensure that Quotation is submitted **duly signed in Original Ink.**  
Quotation submitted with scanned signature, Xerox Quotation etc. or by  
Fax/Telex/Cable/Telegram will not be considered at all.

**PART I : INVITATION TO TENDER & TENDERING CONDITIONS**  
**PART II : GENERAL / SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT**  
**PART III : TECHNICAL SPECIFICATIONS OF STORES**  
**PART IV : DRAWINGS**

GOVERNMENT OF INDIA  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES  
INDORE REGIONAL PURCHASE UNIT  
**RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY**  
P.O. CAT, INDORE-452013 M.P. INDIA.

Tel. # : +91-731-248-8795/97/98/86 Fax# : +91-731-248-8800, 2321345, Email : irpuoff@rrcat.gov.in

Tender No. DPS / IRPU / IMP /

BID DEAD LINE

Time : 16.30 hrs. IST

Date of opening

Time : 11.00 hrs. IST

M/s

---

---

---

Dear Sirs,

Qty. :

Sub. : Purchase of .....

**We are sure that this will be of interest to you. Please ensure that quotation is submitted to reach us or before the above BID DEAD LINE.**

**Yours faithfully**

**Asstt. Purchase Officer  
For and on behalf of the President of India  
(The Purchaser)**

**IMPORTANT NOTE**

1. Late Offers and offers received after BID DEAD LINE will NOT be considered at all. Please ensure offer reaches us before BID DEAD LINE ( i. e. Due Date and time )
2. Offers should be submitted in seperate envelopes for each tender and sealed and superscribed with TENDER NO. AND BID DEAD LINE.
3. One envelope SHOULD NOT CONTAIN MORE THAN ONE QUOTATION / OFFER.
4. 'In the event of a Purchase Order it will be the responsibility of the supplier to pay whatever charges that are payable to different agencies in their country and get the Bill of lading from the Shipping company of Airway Bill from the Airlines as the case may be' PURCHASER WILL NOT PAY ANY CHARGES OTHER THAN THE AGREED PRICE AS PER THE CONTRACT.

GOVERNMENT OF INDIA  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES  
INDORE REGIONAL PURCHASE UNIT  
**RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY**  
P.O. CAT, INDORE-452013 M.P. INDIA.

Tel. #: +91-731-248-8795/97/98/86 Fax#: +91-731-248-8800, 2321345, Email : irpuoff@rrcat.gov.in

In reply Please quote  
Tender No. DPS / IRPU / IMP /

Last date for receipt of offers  
( upto 16-30 HRS. IST )

**PART - 1**  
**INVITATION TO TENDER**  
**and**  
**TENDERING CONDITIONS**

**1.0 INVITATION**

1.1 For and on behalf of the President of India, the Director, Purchase and Stores in the Directorate of Purchase and Stores of the Government of India, Department of Atomic Energy invites tenders IN DUPLICATE for supply of plant / machinery / equipment / Materials as detailed in Part-III to this tender document. The conditions of contract which will govern the contract pursuant to the tender or as contained in Form No. DPS-P-12 which is part-II of this tender document. If you are in a position to quote For supply in accordance with the requirements indicated in Part III to this tender Document, please submit your offer in the prescribed Tender Form No. DPS - P -15 Attached

**1.2 LANGUAGE OF OFFERS**

1.2.1 All tenders shall be made in ENGLISH in the prescribed form attached. Tenders Submitted in any language other than ENGLISH must be accompanied by ENGLISH Translation.

**1.3 VALIDITY OF OFFERS**

1.3.1 Offers made shall remain open for acceptance for 120 days from the last date specified for receipt of offers.

**1.4 ALTERNATIVE OFFERS**

1.4.1 If any departure or substitution from the particular specification contained in Part-III to this tender document is involved this should be clearly indicated in the tender form and should be added as Annexure 'A' thereto.

1.4.2 Offers with alternative equivalent specifications made should contain sufficient details to show that the alternative would equally serve the purpose.

1.4.3 All necessary catalogues / drawing / technical / literature / data as are considered essential for full and correct evaluation of the offers made shall invariably accompany the offers.

**1.5 TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT**

- 1.5.1 It must be clearly understood that any contract pursuant to this invitation to Tender shall be governed by General Conditions of Contract as contained in Form No. DPS-P-12 Part II of this tender document. Particular care must, therefore be taken, to go through these General Condition of Contract in exceptional cases, if any deviations are proposed these must be clearly stated in the tender and incorporated as Annexure 'B' to the tender form.
- 1.5.2 Offers made subject to counter conditions or far too many deviations from the General conditions of Contract (Part-II to this tender document) are liable to be ignored.

**1.6 PRICE**

- 1.6.1 Prices quoted must be FIRM. In exceptional cases (e.g. items involving substantial use of raw materials susceptible to sharp Fluctuation in prices) If prices are quoted subject to variation shall be on the basis of a standard price-variation formula. The basis for calculation shall be very clearly stated. Variation limited to a specific ceiling will be preferred.
- 1.6.2. Prices quoted shall be in the currency of the country of origin and offers linking the Quoted currency with some other currency are liable to be ignored.
- 1.6.3 Prices quoted must be on the following basis :-
- a. "F.O.B. / FCA port of shipment.....loading the consignments on to the vessel, documentations etc. included. The name of the Port (Sea/Air) proposed for the shipment shall be clearly indicated.
- and
- b. C. & F. Indian port (all inclusive cost except insurance- i.e. cost of goods, packing inland, freight, pre-paid ocean freight, documentation etc.)

**1.6.4 AGENCY COMMISSION**

- 1.6.4.1 Commission payable to the tenderer Agents in India, if any, shall be included in the price. Name and address of the Agents and the percentage of commission payable to them and included in the price shall be clearly indicated. The commission will be paid directly to the Indian Agents in equivalent Indian Rupees.

**1.7 SPARES & ACCESSORIES**

- 1.7.1 Offers for plant/machinery/equipment/instrument shall also state prices or essential accessories, optional accessories and spares necessary for satisfactory operation of the plant/machinery/equipment/instrument.
- a. for a period of two years and
- b. for a period of five years.

- 1.7.2 Prices for accessories and spares shall be item, offers where only lumpsum prices are indicated are liable to be ignored Particulars care must be taken to list out each item of spare and quantity recommended and also the individual price for these items.

1.8 **QUANTITY**

- 1.8.1 The purchaser reserves the right to accept or reject lowest or any offers in whole or in part without assigning any reasons. It would therefore be in the interest of the tenderers to clearly understand that the purchaser may accept offers for any quantity offered or his choice and hence, the percentage of reduction, if any in the price quoted in case of acceptance of tender in whole shall be clearly stated.

1.9 **ERECTION AND COMMISSIONING**

- 1.9.1 Tenderers must clearly and separately furnish in their offers the terms for supervision of erection and commissioning particularly in respect of plant / machinery / equipment / instrument.

1.10 **MODE OF SUBMISSION OF TENDERS**

- 1.10.1 Tenders received after the last date fixed for its receipt may not be considered and it will therefore, be in the interest of the tenderers to ensure that the tenders are posted well in time. Tenders submitted by fax/telex/cable/telegram/email/scanned copy will not be considered at all.

- 1.10.2 Tenders shall be enclosed in an envelope duly superscribed with tender Number and the last date for receipt of the same, thus :-

TENDER NO. DPS / IRPU / IMP / .....

LAST DATE FOR RECEIPT.....

1.11 **STATUS OF INDIVIDUAL SIGNING THE OFFER**

- 1.11.1 Individuals signing the tender form and other connected documents must specify the capacity they sign like.

- a. Whether signing as a "Sole Proprietor" of the firm or his attorney.
- b. Whether signing as a "Partner" of the firm or his attorney.
- c. Whether for the firm "as Agent".

- 1.12.1 In case where a tender is submitted by an Indian Agent on behalf of his foreign principal, such tender should be supported with a 'Letter of Authority' from such principal that the Indian Agent has been authorised to submit the tender on behalf of the principal. Tenders not accompanied by such a Letter of Authority are liable to be ignored. However acceptance of offer will be communicated only to the foreign principal directly.

**1.13 ACCEPTANCE OF OFFERS**

1.13.1 Acceptance of offers by the Purchaser may be sent by Cable, Telex, Fax or Letter of intent within validity date of the offer and such a Cable, Telex, or Letter of Intent would then be followed by a formal Purchaser Order Contact. The Tenderer whose offer is accepted and who is hereinafter referred to as Contractor will proceed with the manufacture on the basis of such advance acceptance of offers without waiting for a formal purchase order / contract.

1.14 Unsuccessful tenderers will not be informed of the result of the tenderers.

**1.15 TRAINING**

1.15.1 The contractor shall, in special cases, if required by the Director, Purchase and stores provide facilities for the practical training of the Purchaser's engineers and technical personnel from India and for their active employment on the manufacturing processes of plant / machinery / equipment / instrument throughout the manufacturing period of the contract stores. Such training would normally be required only in case of special plant / machinery / equipment / instrument and particularly manufactured equipments. In such an event, the Purchaser shall bear travelling and billeting expenses of the trainees and contractor himself would recommend such training should furnish the cost of the training proper. Wherever contractor himself would recommend such training should furnish the cost of such training and indicate clearly the numbers of trainees and the duration of training that he would recommend.

**1.16 INSTRUCTION MANUAL**

1.16.1 In respect of equipment / instrument / apparatus, where instruction / operation manual is normally necessary to enable the user to put the equipment / instrument / apparatus to proper use Contractor shall furnish such an instruction / operation manual along with the equipment / instrument / apparatus. The contractor shall clearly specify in the offers about his readiness to supply instruction / operation manual. Cost, if any, for supply of such an instruction / operation manual should be clearly stated.

IMPORTED ITEMS

Form No. DPS-P-12 (Rev)



GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

*DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES*

*GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTS  
&  
SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT*

**APPLICABLE TO THE CONTRACTS FOR IMPORTED STORES**

**PLACED BY**

**THE DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES**

**INDORE REGIONAL PURCHASE UNIT**

**(UNDER GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)**

**GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTS  
APPLICABLE TO CONTRACTS FOR IMPORTED STORES  
PLACED BY THE DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES  
INDORE REGIONAL PURCHASE UNIT**

**INDEX**

**SECTION I - GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTS**

<b><u>CLAUSE NUMBER</u></b>	<b><u>PAGE NUMBER</u></b>
0.1 Preamble	4
2.1 Definitions and interpretation	4
2.2 Authority of persons signing the contract on behalf of Contractor	5
2.3 Sub-Contracting	5
2.4 Drawing and specifications	5
2.5 General Warranty	6
2.6 Alteration	6
2.7 Packing.....	7
2.8 Inspection	7
2.9 Marking	7
2.10 Time for and date of delivery the essence of contract	8
2.11 Rectification and replacement of defective stores	9
2.12 Inspector's authority to certify performance	9
2.13 Consequence of Rejection	9
2.14 Warranty	10
2.15 Permits and Licences	10
2.16 Patent indemnification	10
2.17 Mode and Terms of payment including payment of agency commission and bank Charges	11
2.18 Insurance	12
2.19 Withholding and lien in respect of sums claimed	12
2.20 Lien in respect of claims in other contracts	12
2.21 Arbitration	12
<b>2.22 <u>SECTION II- SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACTS</u></b>	
2.22.1 Responsibility for completeness	13
2.22.2 Final Test	13
2.22.3 Rejection of Defective Plant	13
2.22.4 Warranty	13
2.22.5 Gurantee for spare parts	14
2.22.6 Erection and Commissioning including time for completion	14
2.22.6.2 Time for Completion of Erection	14
2.22.7 Training	14
2.22.8 Performance bond	15
Specimen form for performance bond - Appendix 'A'	16-17

GOVERNMENT OF INDIA



Form No. DPS-P-12 (Rev.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES  
INDORE REGIONAL PURCHASE UNIT  
**RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY**  
P.O. CAT, INDORE-452013 M.P. INDIA.

Tel. #: +91-731-248-8795/97/98/86 Fax#: +91-731-248-8800, 2321345, Email : irpuoff@rrcat.gov.in

**SECTION B**

**GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTS  
APPLICABLE TO CONTRACTS FOR IMPORTED STORES  
PLACED BY  
THE DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES  
OF  
THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**

*PORTION I*

**1.0 PREAMBLE**

1.1 While the conditions contained in portion I will apply to all contracts, Portion II will also apply to contracts for plants / machinery / Equipment / Instruments.

**2.0 GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT**

**2.1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

2.1.1 In the contract and the general and special conditions governing it, unless the context otherwise requires;

- (a) "PURCHASER" means the president of India and includes his successor or assigns.
- (b) "DIRECTOR, PURCHASE AND STORES" means the Regional Director, Purchase and Stores, Govt. of India, Department of Atomic Energy, for the time being in the administrative charge of the Directorate of Purchase and Stores and includes joint Director (Purchase & Stores), Regional Director (Purchase & Stores), Deputy Director (Purchase & Stores), the Senior Purchase Officer, Purchase Officer, Assistant Purchase Officer of the said Directorate of Purchase and Stores of the Department of Atomic Energy, or any other officer authorised for the time being to execute contracts relating to the purchase and supplies of stores on behalf of the purchaser.
- (c) "CONTRACTOR" OR "SUPPLIER" means the individual firm or company with whom or with which the contract / purchase order for supply of stores is placed and shall be deemed to include his successors, heirs, executors, administrators and permitted assigns, as the case may be.
- (d) "CONTRACT" OR "PURCHASE ORDER" means and comprises of a Letter or

\* Cable or \* Telex (\* followed by a written confirmation) conveying acceptance of Contractor's offer and invitation to tender, tender containing offer, advance acceptance of the offer, acceptance of offer general and special conditions of contract specified in the acceptance of offer and any subsequent amendments / alterations thereto made on the basis of mutual agreement.

- (e) "STORES" or "MATERIAL" means the goods specified in the contract / Purchase order which the contractor has agreed to supply under the Contract.
- (f) "SUB-CONTRACTOR" or "SUB-SUPPLIER" means any Contractor or supplier engaged by the contractor or the supplier with the prior approval of the Purchaser in relation to the contract / purchase order.
- (g) "INSPECTOR" or "QUALITY SURVEYOR" means any Engineer belonging to any of the constituent units of the Department of Atomic Energy, Government of India or their appointed Consultants or Quality Surveillance Agency or any other person from time to time authorised by the purchaser to act as his representative for the purpose of inspection of stores under the contract / purchase order.

## 2.12 PARTIES

- 2.12.1 The parties to the contract are the contractor and the purchaser named in the contract / purchase order.

## 2.2 AUTHORITY OF PERSON SIGNING THE CONTRACT ON BEHALF OF THE CONTRACTOR.

- 2.2.1 The person signing the contract or the purchase order or any other document in respect of the contract or purchase order on behalf of the contractor shall be deemed to warrant that he has the authority to bind the contractor.

## 2.3 SUB-CONTRACTING

- 2.3.1 The Contractor / Supplier shall not assign, sublet or delegate the contract or any part thereof without the Purchaser's prior written consent, which consent shall not be unreasonably withheld, but he may without the purchaser's consent purchase such parts accessories or associated equipment as he does not normally manufacture.

## 2.4 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS

- 2.4.1 The drawings and specifications are intended to be complementary and to provide for and comprise everything necessary for the completion of supply any material shown on the drawings even if not particularly described in the specifications or versa is to be supplied by the Contractor as if it were both shown and specified.
- 2.4.2 Should any discrepancy be noted in the drawings and / or specifications and should any interpretation of the same be required, the matter shall be referred to the Purchaser for clarification which shall be binding up on the Contractor. Otherwise the contractor shall assume responsibility for the interpretation of the drawings and specifications including interpretation by his sub-contractors.

- 2.4.3 Should any difference or dispute arise with regards to the true intent and meaning of drawings or specification or should any portion of the same be obscure or capable of more than one interpretation, the same shall be decided by the Purchaser whose decision shall be final.
- 2.4.4 All lettering on the drawings is to be considered as part of the specification and contract. In all cases figured dimensions are to be followed rather than those indicated by scale. Large scale drawings will take precedence over smaller scale drawings.
- 2.4.5 The Contractor's drawings shall, when approved by the purchaser, be deemed to be included in the list of drawings which form part of the contract. The contractor shall not proceed with fabrication until all drawings associated therewith have been duly approved by the purchaser.
- 2.4.6 The contractor shall be responsible for and shall pay for any alterations of the stores and shall indemnify the purchaser consequent expenditure incurred by the purchaser due to any discrepancies, errors, omissions, in the drawings or other particulars supplied by him whether such drawings or specifications have been approved by the Purchaser or not provided that such discrepancies, errors or omissions be not due to inaccurate information or specifications furnished to the contractor on behalf of the purchaser.

## 2.5 **GENERAL WARRANTY**

- 2.5.1 The stores supplied by the contractor under the contract shall be of best quality and workmanship. The contractor shall supply the stores in accordance with the contract specifications unless any deviation has been expressly specified in the contract and any amendments agreed thereto.
- 2.5.2 The contractor's offer to supply stores in accordance with the tender specifications shall be deemed to be an admission on his part that he has fully acquainted himself with the details thereof and no claim shall lie against the purchaser on the ground that the contractor did not examine or acquaint himself fully with the tender specifications.

## 2.6 **ALTERATION**

The purchaser may, from time to time, make changes in the drawings specifications and issue additional instructions without altering the purchase order in any manner provided that no changes shall have been ordered which materially alter the character and scope of the supply under the contract.

- 2.6.2 It shall be law full for the parties to the contract to alter by mutual consent at any time and from time to time the drawings and specifications and as from the dates specified by him stores to be supplied shall be in accordance with such altered drawings and specifications provided that if any such alterations involve increase or decrease in the costs of or in the period required for production, a revision of the contract price and / or the period prescribed for delivery shall be made by mutual agreement in respect of the stores to which the alteration applies. In all other respect shall remain unaltered.

**2.7 PACKING**

- 2.7.1 The contractor shall pack the stores at his own cost sufficiently and properly for transit by sea / air as the case may be so as to ensure their being free from loss or damage while in transit to the ultimate destination specified in the contract.
- 2.7.2 Unless otherwise provided in the contract all containers (including packing cases, boxes, tins drums and wrappings) in which the Stores are supplied by the contractor shall be considered as property of the Purchaser and their cost as having been included in the contract price.

**2.8 INSPECTION**

- 2.8.1 The contractor shall be responsible for and perform all inspection and testing required in accordance with the contract / purchase order and specifications included therewith.
- 2.8.2 The Purchaser may at his option depute his representative for Inspection of the stores to be supplied under the contract or authorise and nominate a Quality Surveillance Agency of his choice for the purpose hereinafter called, in either case, the inspection.
- 2.8.3 The supplier shall give notice of readiness for inspection to the Inspector (deputed Under Clause 2.8.2 above) so that Inspector can be present at the requisite time. In such an event delivery shall not be effected until an authorisation or shipping release is obtained from the Purchaser's Inspector.
- 2.8.4 The contractor shall allow reasonable facility and free access to his work/factory and records to the Inspector for the purpose of inspection or for ascertaining the progress of delivery under the contract.

**2.9 MARKING**

- 2.9.1 Each package delivered under the contract shall be marked by the contractor at his own expense on three sides of package and such markings shall be distinct and shall clearly indicate the description and quantity of stores, name and address of the consignee, gross and net weight of the package, name of the contractor, ultimate, destination, port of discharge etc.

The marking shall generally be as under :

Name and address of the consignee	Director, Purchase and Stores, Government of India, Department of Atomic Energy Indore Regional Purchase Unit, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, P.O. : CAT, Indore-452 013 (M.P.) India
Contract Number and date	No..... Date.....
Brief description of goods	.....
Weight	.....
dimension	.....
Ultimate Destination	.....
Port of Discharge	.....
Package Number	.....

2.9.2 Each package shall contain a packing not specifying the name and address of the contractor, the number and date of contract / purchase order, name and address of the consignee, description of the store and the quantity contained in such package.

2.9.3 The Inspector, wherever deputed by the Purchaser under Clause 2.8.2, may reject the stores if the stores are not packed and / or marked as aforesaid and in case where the packing materials are specifically prescribed, if such materials are not accordance with the terms of the contract.

## 2.10 TIME FOR AND DATE OF DELIVERY-THE ESSENCE OF CONTRACT

2.10.1 The time for and date of delivery of the stores stipulated in the contract shall be deemed to be of the essence of the contract and delivery must be completed not later than the date / dates stipulated.

### EXTENSION OF DELIVERY SCHEDULE

2.10.2.1 If any delay in delivery shall have arisen from any cause such as strikes lockouts, fire accident, riot or the like, which the Purchaser may admit as reasonable ground for grant of extension of delivery schedule, the purchaser reasonable ground for grant of extension of delivery schedule, the purchaser will allow such additional period for the purpose as he may consider necessary taking the circumstances into consideration, If the contractor fails to apply and secure extension of contract delivery dates before effecting the delivery of the supplies against the contract acceptance of such stores by the purchaser for delayed deliveries.

2.10.3 If the contractor fails to deliver the stores or any installment or part thereof within the period fixed for such deliver or such additional period allowed by the Purchaser in accordance with the forgoing para or at any time before the expiry of such period, repudiates the contract, the Director, Purchase and Stores may without prejudice to the rights of the Purchaser :

(i) recover from the contractor as agreed liquidated damages and not by way of penalty a sum equivalent to two percent of the price of any stores which the contractor has failed to deliver within the period fixed for delivery in the contract or such additional period as mentioned in para 2.10.2.1 for each month or part of a month during which the delivery of such stores may be in arrears where delivery thereof if accepted after expiry of the aforesaid period. (For the purpose of computing the damages for delayed supplies under this clause, the cost of the entire plant / machinery / equipment / instrument will be taken into consideration of if the plant / machinery / equipment / instrument can not be put to the intended use for want of the delayed portion of supply.)

OR

(ii) Purchase or authorise of purchase elsewhere without the notice to contractor, on the account and of the risk of the contractor of the stores not so delivered of others of a similar description (where stores exactly complying with the contract specifications are not in the opinion of the Regional Director, Purchases and Stores, which opinion shall be final, readily procurable) without cancelling the contract in respect of the portion) instrument not yet due for delivery.

**OR**

(iii) Cancel the contract or a portion thereof and if so desired purchase or authorise purchase of the stores not so delivered or others of similar description (where stores exactly complying with the contract specifications are not in the opinion of the Regional Director (Purchase and Stores) which opinion shall be final, readily procurable), at the risk and cost of the contractor. If the contract had defaulted in the performance in the original contract, the purchaser shall have the right to ignore his offer in response to risk purchase enquiry even though the lowest.

2.10.4 Where action is taken under Sub-Clause (ii) or Sub - Clause (iii) of para 2 to 3 the Contract shall be liable for any loss which the Purchaser may sustain on the at account provided the purchase or, if there is an agreement to purchase such agreement is made, in case of failure to deliver the stores within the period fixed for such delivery, within six months from the date of cancellation of the contract. The contractor shall not be entitled to any gain on such purchase and the manner and method of such purchase shall be in the entire discretion of the Regional Director, Purchase & Stores. It shall not be necessary for the Purchaser to serve a notice of such purchase on the contractor.

**2.11 RECTIFICATION AND REPLACEMENT OF DEFECTIVE STORES**

2.11.1 If the Inspector finds that the contractor has executed any unsound or imperfect work, the inspector shall notify such defects to the contractor and the contractor, on receiving the details of such defects or deficiency, shall at his own expense, within seven days or otherwise within such time as may be mutually agreed upon as reasonably necessary, proceed to alter, reconstruct or remanufacture the stores to the requisite standard and specifications as called for by the tender specifications.

**2.12 INSPECTOR'S AUTHORITY TO CERTIFY PERFORMANCE**

2.12.1 The Inspector, wherever deputed by the Purchaser under Clause 2.8.2 shall have the power :

- (a) before any stores or part thereof are submitted for inspection to certify that they can not be in accordance with the contract owing to the adoption of any unsatisfactory method of manufacture.
- (b) Reject any stores submitted for inspection, or part thereof as not being in accordance with the specifications.

**2.13 CONSEQUENCE OF REJECTION**

2.13 If on the stores being rejected by the Inspector or consignee at the destination, the contractor fails to make satisfactory supplies within the stipulated period of delivery the Regional Director, Purchase and Stores may :

- (a) Allow the contractor to submit for inspection fresh stores in replacement of those rejected, within a specified time, the contractor bearing the cost of freight on such replacement without being entitled to any extra payment on that account.
- (b) Purchase or authorise the purchase of quantity of the stores rejected or others of similar description (Where stores exactly complying with the specifications are not in the opinion of the Regional Director, Purchase and Stores which opinion shall be final, readily available), without notice to the contractor at his risk and cost and without affecting the contractor's liability as regards further supply of stores due under the contracts.

**OR**

- (C) Cancel the contract and purchase or authorise the purchase of the stores or others of a similar description (when stores exactly complying with specifications are not in the opinion of the Regional Director, Purchase and stores, which opinion shall be final, readily available ) at the risk and cost of the contractor in the event of action being taken under sub-clause (b) above of this sub-clause, the provision of Clause 2.10.3 shall apply as far as applicable.

**2.14 WARRANTY**

- 2.14.1 The contractor warrants that stores to be supplied under the contract shall be free from all defects and faults in materials, workmanship and manufacture and shall be of the highest grade and consistent with the established and generally accepted standards for stores of the type under the contract and in full conformity with the specifications, drawings or samples, if any, and shall if operable, operate properly. This warranty shall expire (except in respect of complaints notified to the contractor prior to such date) twelve months after the date of receipt of the last lot of stores under the contract at the ultimate stipulated in the contract.
- 2.14.2 Should any defect or deficiency in the stores supplied by the contractor under contract appear or be discovered within 12 months from the date of receipt of the stores in India, the contractor upon notification of such defects or deficiency by Purchaser, shall forthwith take measure to rectify every such defect, deficiency or failure, without cost to the purchaser. If the contractor after such notification, shall make default or delay in diligently rectifying all such defects deficiencies or failures to the satisfaction of the purchaser, the purchaser may take recourse to the remedies provided for in Clause 2.10.3 as is applicable.

**15. PERMITS AND LICENCES**

- 2.15.1 The contractor shall secure and pay for all licences and permits at his end which he may require to comply with all laws, ordinances and regulations of the public authorities in connection with the performance of his obligations under the contract. The contractor shall be responsible for all damages and shall indemnify and save the Purchaser harmless from and against all claims for damages and liability, which may arise out of the failure of the contractor to secure and pay for any such licence and permits or to comply fully with any and all applicable laws ordinances and regulations.

**16. PATENT INDEMNIFICATION**

- 2.16.1 The contractor shall indemnify and keep indemnified the Purchaser from and against any and all claims, actions, costs, charges and expenses arising from or for infringement of patent right or other protected rights of any design plans, diagrams, drawings in respect of the stores supplied by the contractor or any of the manufacturing methods or process adopted by the Contractor for the stores supplied under the contract.
- 2.16.2 In the event of any claim being made or action being brought against the Purchaser in respect of the matter referred to in clause 2.16.1 above, the Contractor shall promptly be notified thereof and he shall at his own expense, conduct all negotiations for the settlement of the same and any litigation that may arise therefrom.
- 2.16.3 In the event of any designs drawings plans or diagrams or any manufacturing methods or processes furnished by the Contractor constituting infringement of patent or any other protected rights and use thereof is restrained, the Contractor shall procure for the Purchaser, at no cost to the latter, the rights to continue using the same or to the extent it

is possible to replace the same so as to avoid such infringement and subject to approval by the Purchaser or modify them so that they become non-infringing but such modifications shall otherwise be to the entire satisfaction of the Purchaser.

2.16.4 The provision of this clause shall remain effective and binding upon the Contractor even after the completion, expiration or termination of the contract :-

## 2.17 **MODE AND TERMS OF PAYMENT**

2.17.1 Unless otherwise specified in the contract, payment in full (excluding the amount of the commission included in the price payable directly by the Purchaser to the Indian Agents in Indian Rupees ) shall be made within fifteen days from the date of presentation of the following documents to the purchaser through the Purchaser's Bank specified in each contract-

- |     |   |   |             |
|-----|---|---|-------------|
| (a) | Negotiable Bill of Lading or Airway Bill<br>As the case may be evidencing shipment  | : |             |
| (b) | Invoice for the shipment  | : | Four copies |
| (c) | Packing list  | : | Four copies |
| (d) | Certificate of country of origin  | : | Four copies |
| (e) | Shipping release from Inspector or<br>Quality Surveillance Agency nominated<br>by the purchaser for the purpose of inspection.  | : | Two copies  |
| (f) | Certificate of Quality including works<br>test certificates Certificate of Chemical<br>analysis where applicable  | : | Two copies  |
| (g) | Bank Guarantee for ten percent of the<br>Value of contract in respect of plant/<br>machinery/ equipment/ instrument towards<br>Performance bond as provided for in<br>Clause 2.22.1 of Section II |   |             |

2.17.2 The Contractor shall be responsible to make available to the purchaser the documents which are essential for arranging customs clearance in India. The Contractor shall arrange through his bank to have the documents airmailed to the Purchaser's bank without any delay. He shall also arrange to forward directly to the Director, Purchase and Stores three copies of non-negotiable Bill of Lading or Airways Bill as the case may be, along with a copy of the invoice and packing list. If the purchaser incurs any extra expenditure by way of penalty payable to the Port Trust authorities in India or any other such expenditure due to delay in receipt of shipping documents specified by him, the contractor shall be responsible for making good such extra expenditure incurred by the Purchaser.

## 2.17.3 **BANK CHARGES**

2.17.3.1 While the purchaser shall bear the bank charges payable to his Bankers (State Bank of India, Bombay/Madras) the Contractor shall bear the Bank charges payable to his Bankers including the charges towards advising/amendment commissions.

## 2.17.4 **AGENCY COMMISSION**

2.17.4.1 The amount of commission included in the price and payable to the Indian Agents of the contractor shall be paid directly to the Indian Agents by the purchaser in equivalent Indian



Rupees on the basis of an invoice from the Indian Agent. This payment will be released to the Indian Agents immediately after the Customs clearance of the goods in India and the rate of exchange will be the one based on which payment is made to the contractor.

- 2.17.4.2 The contractor shall invoice only for the net amount payable to him after deducting the amount of agency commission included in the invoice which would be paid to the Indian Agents directly by the Purchaser. However the contractor's invoice should separately reflect the amount of commission payable to his Indian Agent.

## **2.18 INSURANCE**

- 2.18.1 Transit insurance from warehouse to warehouse shall be arranged by the Purchaser through his Underwriters unless this responsibility is specifically entrusted to the contractor in any particular case.

## **2.19 WITH-HOLDING AND LIEN IN RESPECT OF SUMS CLAIMED**

- 2.19.1 Whenever any claim for payment of a sum of money arises out of or under the contract against the Contractor, Purchaser shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of the such claimed amount from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Purchaser or any person contracting through the Regional Director, Purchase and Stores pending finalisation of any such claims.

- 2.19.2 It is an agreed terms of the contract that the sum of money or monies so withheld or retained under the lien referred to above by the purchaser will be kept withheld or retained as such by the purchaser till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such with holding or retention under the lien referred to supra and duly notified as such to the contractor.

## **2.20 LIEN IN RESPECT OF CLAIMS IN OTHER CONTRACTS**

- 2.20.1 Any sum of money due and payable to the contractor ( including the security deposit returnable to him ) under contract may be with held or retained by way of lien by the purchaser or any other person or persons contracting through the Regional Director Purchases and Stores against any claim of the Purchaser or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the purchaser or with other such person or persons.

- 2.20.2 It is an agreed term of the contract that the sum of money so with-held or retained under this clause by the Purchaser will be kept with held or retained as such by purchaser till this claim arising out of in the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitrator, and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money with-held or retained under this clause and duly notified as such to the contract.

## **2.21 ARBITRATION**

- 2.21.1 All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of conciliation and Arbiration of the International Chambers of Commerce by one or more Arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

## **SECTION B**

### *PORTION II*

In addition to the General Conditions of contracts contained in Portion I above, the following special conditions shall apply to contracts for supply of plant / machinery / manufactured equipment. These special conditions where they differ from the general conditions in portion I shall override the latter.

#### **2.22 SPECIAL CONDITION OF CONTRACT**

##### **2.22.1 RESPONSIBILITY FOR COMPLETENESS**

2.22.1.1 All fittings or accessories which may not be specifically mentioned in the tender specifications or the contract but which are necessary, are to be provided by the contractor without extra charge and the plant / machinery / equipment / instrument be complete in all details.

##### **2.22.2 FINAL TEST**

2.22.2.1 The final tests as to performance and guarantee shall commence within one month of completion of installation.

##### **2.22.3 REJECTION OF DEFECTIVE PLANT**

2.22.3.1 If the completed plant or any portion thereof before it is finally accepted is found to be defective or fails to fulfil the requirements of the contract, the Purchaser shall give contractor notice setting forth the details of such defects or failure and the contractor shall forthwith rectify the defective plant or alter the same to make it comply with the requirements of the contract. Should the contractor fail to do so within a reasonable time the Purchaser may reject and replace at the cost of the contractor, whole or any portion of the plant, as the case may be, which is defective or fails to fulfill the requirements of the contract. Such replacement shall be carried out by the Purchaser within a reasonable time and at reasonable price and where reasonably possible to the same specifications and under competitive conditions. The contractor shall be liable to pay to the Purchaser the extra cost if any, of such replacement delivery and / or erected as provided for in the contract, such extra cost being the difference between the price paid by the purchaser, under the provisions abovementioned for such replacement and the contract price for them. Contractor shall refund to Purchaser any sum paid by the Purchaser to the contractor in respect of such defective plant.

##### **2.22.4 WARRANTY**

2.22.4.1 For a period of twelve calendar months after the plant / machinery / equipment / instrument has been put into operation ( or for a suitable mutually agreed longer period to be reckoned from the date of last major shipment depending upon the nature of the plant machinery / equipment / instrument ) the contractor shall be responsible for any defects that may develop under conditions provided for by the contract and under proper use, arising from faulty materials, design or workmanship in the plant or from faulty erection of the plant by the contractor, but not otherwise and shall rectify such defects at his own cost when called upon to do so by the purchaser who shall in writing such defects.

2.22.4.2 If it becomes necessary for the contractor to replace or renew any defective portions of

the plant for purpose of rectification under this clause, the provisions of this clause shall apply to the portions of the plant so replaced or renewed until the expiration of six months from the date of such replacement or renewal or until the end of the above mentioned period of twelve month which ever may be the later if any defects be not rectified within reasonable time, the Purchaser may proceed to get the work done at contractor's risk and expenses but without prejudice to any other rights which the Purchaser may have against the contractor in respect of such defect.

2.22.4.3 All inspections adjustments, replacements or renewals carried out by the contractor during the warranty period shall be subject to the same conditions as in the contract.

#### **2.22.5 GUARANTEE FOR SPARE PARTS**

2.22.5.1 The contractor shall undertake that before going out of production of the spare parts he will give adequate advance notice to the Purchaser so that the latter may order his requirement of spares in one lot if he so desires.

2.22.5.2 The contractor shall further guarantee that if he goes out of production of spare parts, then he will make available blue prints, drawings of spare parts and specifications of materials at no cost to the Purchaser, if and when required in connection with the equipment to enable Purchaser to fabricate or procure spare parts from other sources.

2.22.5.3 The provision of the clause shall remain effective and binding upon the contractor even after the completion or expiration of the contract and till the plant / machinery / instrument supplied under the contract is in use by the Purchaser.

#### **2.22.6 ERECTION AND COMMISSIONING**

2.22.6.1 In all cases where contracts provide for supervision of erection and commissioning or for tests at the Purchaser's premises the Purchaser except where otherwise specified, shall provide free of charge such labour materials fuels, stores apparatus and Instruments as may be required from time to time and as may reasonably be demanded by the contractor to carry out efficiently such supervision of erection and commissioning and for the requisite site test. In case of Contracts requiring electricity for the completion of erection, commissioning and testing at site, such electricity shall be supplied free to the contractor.

#### **2.22.6.2 TIME FOR COMPLETION OF ERECTION**

2.22.6.1 The time agreed to for completion of erection and commissioning shall be the essence of the contract and should any delay or default occurs on the part of the contractor, the Purchaser shall have the right to make alternative arrangements to carry out erection and commissioning of the plant machinery / equipment instrument and the contractor shall be liable to pay all extra expenses that may be incurred by the purchaser on this account.

2.22.6.2. Action by the Purchaser under the clause shall not relieve the contractor of his warranty obligations under the contract.

#### **2.22.7 TRAINING**

2.22.7.1 The contractor shall if required by the Regional Director, Purchase & Stores provide facilities for the practical training of purchaser's engineering of technical personnel from India and for their active association on the manufacturing processes throughout the manufacturing period of the contract / stores, number of such personnel to be mutually agreed upon.

## 2.22.8 PERFORMANCE BOND

- 2.22.8.1 The contractor shall furnish a Performance Bond in the form of a Bank Guarantee as per the Speciman at Appendix "A" to this section for an amount equal to **ten percent** to the total value of the contract valid till expiration of the Warranty Period as a security for the satisfactory performance of the plant / machinery / equipment / instrument supplied under the contract.
- 2.22.8.2 The Bank Guarantee shall be drawn from State Bank of India or any Nationalized Bank of India or reputed private banks ICICI or HDFC or AXIS or IDBI or any International Bank **indicating their complete Postal address, phone, Fax number, email ID etc.**

**APPENDIX "A"**  
**TO**  
**PORTION II, SECTION B SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT**  
**PERFORMANCE BOND**  
**(To be Executed by the contractor's Bank)**

The President of India  
Acting through the Director, Purchase & Stores  
Directorate of Purchase and Stores,  
Department of Atomic Energy,  
Indore Regional Purchase Unit  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology  
Indore - 452 013, (M.P.) INDIA

WHEREAS on or about the ..... M/  
S. .... Having  
its registered office at..... (hereinafter called  
the contractor) entered into an agreement No. .... dated..... for manu-  
facture and supply of ..... (hereinafter called the Contract ) with the  
President of India, acting through the Regional Director, Purchase and Stores Depart-  
ment of Atomic Energy (hereinafter called "the Purchaser").

AND WHEREAS under the terms and conditions of the contract final payment  
amounting To ..... Under the contract is to be made against a perfor-  
mance Bond in the form of a Bank Guarantee furnished by the contractor for a sum of  
..... equivalent 10 % (ten percent) of the value  
of the contract towards satisfactory performance of the .....  
(hereinafter called 'the Equipment') valid for a period of 12 months from the date of putting  
into operation of the said equipment or ..... months  
from the date of receipt of the last lot of consignment whichever is earlier :-

NOW WE the ..... ( Bank in consideration of the  
promises and payment of the final balance amount of .....  
under the contract to the contractor hereby agree and undertake to pay on demand and  
without any demur to the Regional Director, Purchase and Stores, Directorate of Pur-  
chase and stores, Department of Atomic Energy, on behalf of he contractor a sum not  
exceeding.....against any loss or  
damage that may be suffered by the Purchaser by the reasons of any unsatisfactory  
performance of the said equipment.

AND WE here also agree that the decision of the said Regional Director, Pur-  
chase and Stores as to whether the said equipments giving satisfactory performance or  
not and as to the amount of loss or damage suffered by the purchaser on account of  
unsatisfactory performance of the said equipment shall be final and binding on us.

AND WE ..... (Bank) hereby further agree that our liability hereunder shall not be discharged by virtue of any agreement between the Purchaser and the contractor whether with or without knowledge and / or consent or by reason of, the Purchaser showing any indulgence or forbearance to the contractor whether to pay payment, time performance, or any other matter whatsoever relating to the contract but for this provision would amount to discharge of the surety under the law.

OUR GUARANTEE shall remain in force until ..... (two months beyond the contract warranty period) and unless a claim under the guarantee is lodged with us on or before the above date, all rights of the Government under the guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all our liabilities hereunder.

Our liability under this guarantee shall not be affected by any change in our constitution or The constitution of the Contractor.

(Stamp & Signature)

FOR AND ON BEHALF \_\_\_\_\_ (Bank)  
(indicate the name of Bank with postal address,  
Fax number & e-mail details)

Dated the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.

**Note : Kindly incorporate the specific validity date of the Bank Guarantee strictly as per our warranty clause No. \_\_\_\_\_ of the Purchase Order with extra two months period for lodging the claim.**

## TENDER FORM

Telephone No. :

Form No. DPS - P - 15

E-mail ID :

Fax No. :

From

Tender No. DPS / IRPU / IMP / .....

Last date of receipt of offers : .....

M/s .....

(upto) 16.30 Hrs. I.S.T.

.....Supplier's Offer No. ....

.....Date : .....

The President of India  
(acting through the Director, Purchase & Stores)  
Directorate of Purchase & Stores,  
Department of Atomic Energy,  
Indore Regional Purchase Unit,  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology,  
P.O. CAT, Indore - 452 013, (Madhya Pradesh)  
INDIA.

Dear Sir,

I/We have gone through the tendering conditions and the General Conditions of Contracts and Special Conditions of Contracts for imports contained in form No. DPS - P - 12 and hereby agree to supply the Stores conforming to the tender specifications incorporated in part III of the Tender documents strictly adhering to the General and Special Conditions of Contract as set out in Section I and / or Section II of the tender documents.

1. \*\* You will be at liberty to accept any one or more of the items of stores offered by us and I / we shall be bound to supply you the stores as may be specified in the purchase order / contract.

OR

2. \*\* I / we are not in a position to submit and offer as per the specification contained in part III of the tender documents and would, therefore, submit herewith an ALTERNATIVE OFFER for your consideration. I / We hereby confirm that this alternative offer is for stores of equivalent specification and would equally serve the purpose.
3. Technical deviations to specifications contained in part III of the tender documents and detailed in Annexure 'A' to the tender form and deviation proposed to General and Special Conditions of Contracts contained in part II of the tender documents are detailed in Annexure 'B' to the tender form.
4. I/We are also enclosing herewith all the leaflets / Catalogues etc pertaining to the stores offered.

Yours faithfully

Stamp and Signature of the Tenderer

Encl. : Deviation to technical specification - Annexure ' A '  
Deviations to General and Special Conditions of contract - Annexure ' B '  
Leaflets / Catalogue

\*\* Strike out whichever is not applicable.

Schedule to Tender

Form No. DPS - P - 15 (A)

Tender No. DPS/ IRPU/ IMP/

Offer No. ....

Last date for receipt of offers

Date.....

Upto 16.30 hrs Indian Standard Time

(Valid upto 120 days From the last date for receipt of offers, i.e.)

SL. NO.	DESCRIPTION OF STORES	QTY.	UNIT	UNIT RATE INDORE		Total Cost tendered Quantity Indore	
				FCA	C & F	FCA	C & F

Percentage (%) of commission included

In the above price and payable to M/

S.....

In equivalent Indian Ru-

pees.....

Estimated Weight and

.....

Dimension of the consignment

.....

\*proposed mode of despatch

.....

Delivery Schedule

.....

Port of Shipment

.....

Stamp & Signature of the Tenderer

\*The most economic mode of despatch should be proposed i.e. whether the tender would recommend



**PART I : INVITATION TO TENDERS & TENDERING CONDITIONS**

**PART II : GENERAL / SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT**

**PART III : TECHNICAL SPECIFICATIONS OF STORES**

## IMPORTANT NOTE :

1. PLEASE INDICATE SEPARATELY THE QUANTUM OF AGENCY COMMISSION PAYABLE TO YOUR AGENT IN INDIA AND INCLUDED IN THE PRICE QUOTED.
2. TWO COPIES OF ILLUSTRATED LITERATURE / CATALOGUE SHOULD ACCOMPANY THE OFFER.
3. APPROX WEIGHT OF THE CONSIGNMENT AND VOLUME AFTER PACKING MAY BE FURNISHED IN THE OFFER TO DECIDE THE MODE OF SHIPMENT, PLEASE ALSO ADVISE WHICH MODE OF SHIPMENT WOULD BE ECONOMICAL.
4. "TENDERERS SHALL QUOTE FOR SUPPLY OF THE ITEMS ON FCA/FOB....."
5. PURCHASER'S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE PAYMENT OF THE PRICE OF THE ITEM ONLY. IF ANY OTHER CHARGES ARE TO BE PAID TO ANY AGENCIES IN THE SUPPLIER'S COUNTRY TILL THE CONSIGNMENT IS HANDED OVER TO THE AIRPORT MENTIONED THE SAME SHALL BE BORNE BY THE SUPPLIER. PURCHASER HAS A NOMINATED FREIGHT FORWARDER IN SUPPLIER'S COUNTRY WHOSE SERVICE CAN BE AVAILED BY THE TENDERERS IF THEY SO DESIRE ON TERMS TO BE SETTLED DIRECTLY WITH THEM. NAME AND ADDRESS OF THE FREIGHT FORWARDER WILL BE INDICATED IN THE PURCHASE ORDER. FOR ANY REASONS IF THE TENDERER IS UNABLE TO QUOTE FOR SUPPLY ON "FCA GATEWAY AIRPORT BASIS" AND THE RATES ARE QUOTED ON ANY OTHER BASIS SUCH AS EX-WORKS, FOB, ETC THEN THE CHARGES FOR DELIVERY TO GATEWAY AIRPORT SHALL BE INDICATED SPECIFICALLY IN THE QUOTATION.

IN THE CASE OF ALL IMPORTS ENTAILING AIR TRANSPORTATION, A LIST OF COUNTRIES TOGETHER WITH GATEWAY AIRPORTS IS GIVEN BELOW.

Sr.No.	NAME OF THE COUNTRY	NAME OF THE GATEWAY AIRPORT
1.	AUSTRALIA	SYDNEY
2.	AUSTRIA	VIENNA
3.	BELGIUM	BRUSSELS
4.	CANADA	MONTREAL
5.	CHINA	SHANGHAI
6.	DENMARK	COPENHAGEN
7.	FINLAND	HELSINKI
8.	FRANCE	PARIS
9.	GERMANY	FRANKFURT
10.	HONG KONG	HONG KONG
11.	HUNGARY	BUDAPEST
12.	IRELAND	DUBLIN
13.	ISRAEL	TELAVIV
14.	ITALY	MILAN
15.	JAPAN	TOKYO
16.	KOREA	SEOUL
17.	LITHUANIA	VILNIUS
18.	MALAYSIA	KUALALUMPUR
19.	NETHERLANDS	AMSTERDAM
20.	POLAND	WARSAW
21.	RUSSIA	MOSCOW
22.	SINGAPORE	SINGAPORE
23.	SPAIN	BARCELONA
24.	SWEDEN	STOCKHOLM
25.	SWITZERLAND	ZURICH
26.	TAIWAN	TAIPEI
27.	THAILAND	BANGKOK
28.	UAE	DUBAI
29.	UK	LONDON
30.	USA	NEWYORK

## ADDITIONAL INSTRUCTIONS TO TENDERERS

### 1. Installation and Commissioning :

a) Wherever, the purchaser's invitation to tender calls for installation and commissioning or supervision of installation and commissioning of the instrument/equipment by the tenderer, the tenderer must clearly and separately quote the prices for the supply of the stores and the charges and the terms for installation and commissioning or supervision of installation and commissioning, as the case may be. The charges towards installation and commissioning should not be included in the price of the stores.

b) In respect of contracts involving installation and commissioning by the overseas supplier where identifiable charges for the same has been quoted by the tenderer, he shall bear the Income-tax liability as per the rates prevailing at the time of undertaking the job in accordance with the Income-tax Act in force in India, which at present is 20% on the installation and commissioning charges.

### 2. Performance Bond Bank Guarantee :

In the event of acceptance of the offer in respect of plant, machinery, equipment, instrument, etc., the tenderer will be required to submit a Performance Bond Bank Guarantee for 10% of the value of the contract from a State Bank of India or any Nationalized Bank of India or reputed ICICI or HDFC or AXIS or IDBI or any International Bank indicating their complete Postal address, Phone, Fax No., E-mail ID etc. on a non-judicial Stamp Paper of appropriate value, valid till the warranty period as per the purchaser's format, towards satisfactory performance of the plant, machinery, equipment, instrument etc. during the warranty period. In case of non-submission of the performance bond Bank Guarantee by the contractor; an amount equivalent to 10% of the total value of the contract will be retained till the expiry of the warranty period of the stores. The offers of the tenderers, who are not agreeable to furnish a Performance Bond Bank Guarantee or retaining of the 10% of the order value till the warranty period, are likely to be rejected.

### 3. Custom duty :

The purchaser is entitled for assessment of Custom Duty at the concessional rate of 5% as per Amendment No. 24/2002-Custom dt. 01.03.2002 to Customs Notification No. 51/96-Custom dt. 23.07.1996, issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance in respect of purchases made for the Research Institutions under the Department of Atomic Energy, and the purchaser will obtain and provide the requisite certificate from the appropriate authority for availing of the concessional rate of custom duty.

Since this Directorate handles the purchases for both the Research Institutions and Industrial Units under the Department of Atomic Energy, in case an Indian supplier/agent submits an offer for supply of out rightly imported stores in Indian Rupees, they should quote the price for sale on High-Seas, i.e. CIF Port of Destination (like CIF Mumbai, CIF Chennai etc.). However, the Transit insurance for the same should be taken from an Indian Insurance company nominated by the purchaser, so as to provide insurance coverage from anywhere in the world to anywhere in India. The Custom Clearance of the consignment in such cases will be arranged by the purchaser.

Wherever, against a requirement, both indigenous as well as imported offers are received, the offers for imported stores will be evaluated on the basis of the total landed cost after loading the custom duty and other levies as may be applicable from time to time for taking purchase decision.

### 4. Purchase preference :

In case any of the Central Public Sector Enterprise submit an offer, they will be eligible for purchase preference when they complete with the private sector units as per the policy of the Government of India in force at the time of evaluation, provided their offer is technically suitable and the difference in price quoted by them and the lowest technically acceptable offer is within the 10%, and the Central Public Sector Enterprise is willing to match their price with that of the lowest tenderer.

### 5. Price preference :

In case a Small Scale Industrial Unit registered with NSIC submits an offer and if the offer is found to be technically suitable, they will be eligible for Price Preference when they compete with large scale industrial units as per the policy of the Government of India in force at the time of evaluation.

**6. Offers from Indian Agents on behalf of foreign suppliers :**

In case the tender is submitted by an Indian supplier / Indian agent on behalf of their foreign suppliers / principals, following document should be submitted with the tender, failing which, their offer is liable to be ignored :

- (a) Photocopy of the Agency Agreement between the principals and the Indian Agents showing the percentage or the quantum of agency commission payable and a Letter of authority from the principals authorizing the Indian Agents to submit the tender on their behalf.
- (b) Copy of Registration Certificate with DGS & D or this Directorate (DPS).
- (c) The Type and nature of after sales services to be rendered by the Indian Agent.  
The Indian Agents are allowed to quote on behalf of only one foreign Principal / supplier against this tender.

**7. Conditional Discount :**

In case the tenderer offers any conditional discount with regard to acceptance of their offer within a specific period or for the specific payment terms, delivery, quantity etc. the purchaser will not take into consideration such conditional discount while evaluating their offer.

**8. Past Performance :**

In case the past performance of the tenderer is not found to be satisfactory with regard to quality, delivery, warranty obligation and non-fulfillment of terms and conditions of the contract, their offer is liable to be rejected by the purchaser.

**9. Capacity & Financial Standing :**

In case it is found that the tenderer does not possess the requisite infrastructure, capacity, capability and their financial standing is not satisfactory, such tender is liable to be rejected by the purchaser.

**10. End-User Statement :**

In the event of an order, it shall be the exclusive responsibility of the contractor to obtain any export permit, licence, authorization etc. required in accordance with the existing laws of the country of export. The purchaser will not have any liability on this account.

Whenever an End-use Certificate is desired by the contractor the same shall be clearly mentioned in the offer and the purchaser shall provide an End - user Certificate as per the format given below. The purchaser will not provide any other document / declaration in this regard,

The Purchaser will also not permit inspection of the material procured against this contract at purchaser's installation by any agency unless otherwise specifically agreed to in the contract.

**END USER STATEMENT :**

We hereby certify that the items ..... being procured from  
M/s. .... against our Purchase Order No. DPS/  
..... dated..... will be used for  
.....

We also certify that the item/s will not be used in designing, developing, fabricating or testing of any chemical, biological, nuclear, or weapons of mass destruction or activities related to it.

It is further certified that we will not re-export this item prior to obtaining permission from the concerned authorities as may be required".

**11. Confidentiality :**

The drawings, specifications, prototypes, samples or any other correspondence/details/information provided by the Purchaser relating to the tender or the contract shall be kept confidential by the Contractor, and should not be disclosed or passed on to any other person/firm without the prior written consent of the Purchaser. This clause shall apply to the sub-contractors, consultants, advisers, or the employees engaged by the contractor.

**12. Restricted Information Categories under Section 18 of the Atomic Energy Act, 1962 and Official Secrets Act, 1923.**

Any contravention of the above-mentioned provisions by the contractor, sub-contractor, consultant, adviser or the employees of the contractor will invite penal consequences under the aforesaid legislation.

**13. Prohibition against use of the name of any Institution of Department of Atomic Energy without permission for publicity purposes :**

The Contractor or sub-contractor, consultant, adviser or the employees engaged by the contractor shall not use the name of any Institution of Department of Atomic Energy for any publicity purpose through any public media like Press, Radio, T.V. or Internet without the prior written approval of the Purchaser.

**14. Compliance with the Security Requirements of The Purchaser :**

The Contractor shall strictly comply with the Security Rules and Regulations of the Purchaser in force and shall complete the required formalities including verification from Police and any other authority and obtain necessary prior permission for entry into the Purchasers premises, wherever authorised by the Purchaser.

**15. Products With "ISI" Mark :**

Products with ISI mark will be preferred. In respect of the following categories of items, Purchaser will consider offers for products with ISI Mark only :

1. Fire Extinguishers.
2. Building Materials
3. P.V.C. Pipes and fittings
4. Agricultural implements & sprayers
5. Medical Instruments (such as syringes, needles, BP apparatus etc.)

**16. Rates to be Quoted in Figures & Words.**

The tendereres shall ensure that the rates quoted by them are given both in *figures and words*, failing which the tenders are liable to be rejected.

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
क्रय एवं भण्डार निदेशालय  
इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार इकाई  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र  
डाक : केट, इन्दौर- 452 013, (म. प्र.) भारत.

दूरभाष क्रं. : +91-731-248-8795/97/98/86, फैक्स : +91-731-248-8800, 2321345, ई-मेल irpuoff@rrcat.gov.in

निविदा क्र. डी.पी. एस. / इ.क्षे.क्र.ई. / आयात /  
निविदा प्रस्तुति की अन्तिम तारीख  
समय : 16.30 बजे (भारतीय मानक समय)  
निविदा खोले जाने की तिथि :  
समय : 11.00 बजे (भारतीय मानक समय)

मेसर्स \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

प्रिय महोदय,

विषय : .....

मात्रा :

हमें विश्वास है कि आपकी इस निविदा में रुचि होगी। कृपया सुनिश्चित करें कि जमा किया जाने वाला कोटेशन, निविदा समाप्ति तिथि तक या इससे पूर्व हम तक पहुँच जाने चाहिए।

भवदीय,

सहायक क्रय अधिकारी  
भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से  
(क्रेता)

कृपया ध्यान दें :

- (1) देरी से प्राप्त तथा निविदा प्रस्तुति तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव निविदा प्रस्तुति की समाप्ति की तारीख से पूर्व (अर्थात् नियत तिथि तथा दिनांक तक) हम तक पहुँच जाएं।
- (2) प्रत्येक निविदा के लिये प्रस्ताव, अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद कर तथा लिफाफों पर निविदा की क्रमांक संख्या तथा निविदा प्राप्ति की समाप्ति लिखकर जमा करें। भेजें।
- (3) प्रत्येक लिफाफे में एक कोटेशन / प्रस्ताव से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (4) क्रयदेश जारी किये जाने पर आपूर्तिकर्ता का दायित्व होगा कि वह अपने देश में विभिन्न एजेंसियों को देय प्रभारों का भुगतान करें तथा शिपिंग कम्पनी को लदान बिल या एयरलाईस का हवाई मार्ग बिल, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करें। क्रेता द्वारा अनुबंध के अनुसार तय किये गये मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।



भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
क्रय एवं भण्डार निदेशालय  
इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार इकाई  
राजा रामल्ला प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र  
डाक : केट, इन्दौर- 452 013, (म. प्र.) भारत

दूरभाष क्रं. : +91-731-248-8795/97/98/86, फैक्स : +91-731-248-8800, 2321345, ई-मेल irpuoff@rrcat.gov.in

उत्तर दैते समय कृपया  
निविदा क्रमांक डी.पी.एस./आई.आर.पी.यू./इम्पो/\_\_\_\_\_  
का उल्लेख करें।

प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि :  
भारतीय मानक समय के अनुसार  
16.30 बजे

## भाग -1

निविदा के लिये आमंत्रण  
तथा  
निविदा शर्तें

### INVITATION TO TENDER AND TENDERING CONDITIONS

#### 1.0 आमंत्रण (Invitation)

1.1 भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उसकी ओर से भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भण्डार निदेशालय के निदेशक, क्रय एवं भण्डार, इस निविदा दस्तावेज के भाग-III में वर्णित संयंत्र मशीनरी/ उपकरण/ सामग्री की आपूर्ति के लिये निविदा (दो प्रतियों में) आमन्त्रित करते हैं। अनुबन्ध की शर्तों जो निविदा के अनुवर्ती अनुबन्ध को नियमित करेगी फार्म क्र. डी. पी. एस. पी. 12 में उल्लेखित है जो इस निविदा दस्तावेज का भाग - II है। यदि आप इस निविदा दस्तावेज के भाग - III में दर्शायी गई आवश्यकताओं के अनुरूप आपूर्ति हेतु दरे (कोटेशन) देने की स्थिति में है तो कृपया अपना प्रस्ताव निम्नलिखित फार्म क्र. डी. पी. एस. पी. -15 (संलग्न) में भरकर दें।

#### 1.2 प्रस्तावों की भाषा (Language of the offers)

1.2 समस्त निविदाएँ संलग्न निर्धारित फार्म में, अंग्रेजी में होना चाहिए। अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में भरी जाने वाली निविदाओं का अंग्रेजी पाठ भी साथ होना चाहिए।

#### 1.3 प्रस्ताव की वैधता (Validity of the offers)

1.3.1 प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव, स्वीकृत हेतु प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि के बाद, 120 दिन के समय में स्वीकार किये जाने हेतु मान्य होने चाहिए।

#### 1.4 वैकल्पिक प्रस्ताव (Alternative offers)

1.4.1 यदि प्रस्ताव इस निविदा दस्तावेज में भाग - III में वर्णित किसी विनिर्देश विशेष से भिन्न या प्रतिस्थापित (Departure of Substitution) हैं तो इसे निविदा फार्म में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए तथा संलग्न "क" में जोड़ा जाए।

- 1.4.2 समतुल्य या भिन्न विनिर्देश वाले प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में पर्याप्त पूरक विवरण दिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि समतुल्य आपूर्ति से भी समान उद्देश्य ही पूरा होगा।
- 1.4.3 प्रस्तुत प्रस्तावों के पूर्ण तथा सही मूल्यांकन के लिये अनिवार्य समझे जाने वाले समस्त आवश्यक केटलॉग / आरेख / तकनीकी साहित्य / आँकड़े, निरपवाद रूप से प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने चाहिए।

## 1.5 अनुबन्ध की शर्तें (Terms of contract)

- 1.5.1 यह भली-भाँति समझ लिया जाना चाहिए कि निविदा के इस आमंत्रण के अनुरूप किया गया अनुबन्ध इस निविदा दस्तावेज के भाग के फार्म क्र. डी.पी.एस.पी. -12 में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों द्वारा नियमित व शासित होगा अतः यह विशिष्ट मामलों में अनुबन्ध की इन सामान्य शर्तों को पूरा करने के लिये विशेष रूप से तत्पर रहना चाहिए। यदि इनमें किसी प्रकार की असहमति प्रस्तावित है तो इसका उल्लेख निविदा में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए तथा निविदा फॉर्म के साथ, संलग्नक बी के रूप में, जोड़ा जाए।
- 1.5.2 यदि प्रस्तावों के साथ प्रति-शर्तें होंगी या अनुबंध की सामान्य शर्तें इस निविदा दस्तावेज के भाग से बहुत अधिक भिन्न होंगी तो ऐसे प्रस्तावों को निरस्त किया जा सकता है।

## 1.6 मूल्य (Price)

- 1.6.1 उल्लेखित (कोट) किया गया मूल्य अंतिम होना चाहिए। अपवाद स्वरूप मामलों में, जैसे - कच्चा माल का पर्याप्त उपयोग करने वाला मद जिसके मूल्य में तेजी से उतार-चढ़ाव की आशंका हो (यदि प्रस्तुत किये गये) कोट किये मूल्यों में परिवर्तन न प्रस्तावित हो तो यह मूल्य परिवर्तन के मानक सूत्र (फार्मूला) पर आधारित होना चाहिए। परिकलन का आधार अत्यंत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए तथा मूल्यों के परिवर्तन के प्रस्ताव की स्थिति में मूल्य के अधिकतम परिवर्तन की सूचना के स्पष्ट उल्लेख को वरीयता दी जाएगी।
- 1.6.2 उल्लेखित दर (मूल्य), प्रस्तावक देश की मुद्रा में होना चाहिए तथा उल्लेखित दरों का अन्य देशों की मुद्रा के साथ संबंध करने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता।
- 1.6.3 उल्लेखित किया गया मूल्य निर्मांकित आधार पर होना चाहिए -
- (क) ..... एफ. ओ. बी. नौवहन वाला बंदरगाह.....पर परेषण मूल्य आदि में परेषण लोडिंग / दस्तावेज तैयार करने के बाद मूल्य / (परेषण) (शिपमेंट) के लिये प्रस्तावित बंदरगाह / हवाई अड्डे का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाये।
- तथा
- (ख) मूल्य का भाड़ा (सी तथा एफ) जो भारतीय बंदरगाह तट से / समस्त मूल्य सिवाय बीमा प्रभार के - अर्थात् वस्तु का मूल्य, पैकिंग, अन्तर्देशीय, भाड़ा, पूर्व भुगतान किया गया सामुद्रिक भाड़ा, परेषण दस्तावेजों संबंधी खर्च आदि।

## 1.6.4 एजेंसी कमीशन (Agency Commission)

- 1.6.4.1 यदि भारतीय में निविदाकार के एजेंट का कमीशन देय है तो वह मूल्य में शामिल होना चाहिए। एजेंट का नाम पता तथा उन्हें देय कमीशन का प्रतिशत मूल्य में शामिल किये जाने की स्थिति स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। कमीशन राशि का भुगतान भारतीय एजेंट को सीधे ही भारतीय रूपयों में किया जाएगा।

## 1.7 अतिरिक्त पुर्जों और उप - साधन (Spares & Accessories)

1.7.1 संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र के लिये प्रस्ताव की स्थिति में मूल्य में अनिवार्य उप-साधन, वैकल्पिक उप-साधन तथा अतिरिक्त पुर्जों का भी उल्लेख किया जाए तो संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र के सन्तोषजनक प्रचालन के -

- (क) दो वर्ष की अवधि के लिये तथा
- (ख) पाँच वर्ष की अवधि के लिये आवश्यक हो।

1.7.2 उप साधन तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य, मदवार दिया जाए। यदि प्रस्तावों में समेकित (एकराशि) मूल्य दर्शाया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त पुर्जों की प्रत्येक मद तथा संस्तुति मात्रा तथा इन मदों के अलग-अलग मूल्य भी सूचीबद्ध करने में विशेष सावधानी रखी जाए।

## 1.8 मात्रा (Quantity)

1.8.1 क्रेता को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव को अंशतः या पूर्णतः या न्यूनतम मात्रा में स्वीकार कर या अस्वीकृत कर दे अतः निविदाकार को अपने हित में यह स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए कि क्रेता अपनी पसन्द से प्रस्तावित किसी भी मात्रा के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है अतः निविदा के पूरी मात्रा में स्वीकार किए जाने के मामले में, उल्लेखित मूल्य में दी जाने वाली छूट का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

## 1.9 निर्माण / स्थापना तथा चालू करना (Erection & Commissioning)

1.9.1 निविदाकार को निर्माण / स्थापना, विशेषकर संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र के सम्बन्ध में निविदाकार द्वारा अपनी पर्यवेक्षण सम्बन्धी शर्तों का प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अलग से उल्लेख करना आवश्यक है।

## 1.10 निविदा जमा करने की तारीख

1.10.1 निविदाओं की प्राप्ति के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा अतः निविदाकारों द्वारा यह सुनिश्चित करना उनके हित में होगा कि निविदाओं को समय रहते भेजा जाए। फैक्स / टेलेक्स / केबल / तार के द्वारा भेजी गयी निविदाएँ अस्वीकार्य हैं।

1.10.2 निविदाएँ एक लिफाफे में निविदा क्रमांक तथा निविदा पावती की अन्तिम तिथि लिफाफे पर भली प्रकार, लिखकर इस प्रकार भेजे - निविदा क्रमांक : डी.पी.एस. / आई.आर.पी.यू. / आई.एम.पी. / .....  
निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि .....

## 1.11 प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले की स्थिति :

1.11.1 निविदा फार्म तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अपने स्तर को अवश्य दर्शाएँ, जैसे कि वह -

- (क) फार्म के लिये एकमात्र मालिक या उसके प्रतिनिधि के रूप में है।
- (ख) फार्म के साझेदार या उसके प्रतिनिधि के रूप में है।
- (ग) फार्म के लिए एजेंट के रूप में है।

1.12.1 यदि विदेशी मूल नियोक्ता की ओर से भारतीय अभिकर्ता (एजेन्ट) निविदा भरता है तो ऐसी निविदा के साथ ऐसे मूल नियोक्ता (प्रिंसिपल) का इस आशय प्राधिकार पत्र, संलग्न करना चाहिए कि भारतीय एजेन्ट मूल नियोक्ता (प्रिंसिपल) की ओर से निविदा कर सकता है तथापि प्रस्ताव की स्वीकृति की स्थिति में सूचना विदेशी मूल नियोक्ता (प्रिंसिपल) को सीधे दी जाएगी।

### 1.13 प्रस्तावों की स्वीकृति (Acceptance of offers)

1.13.1 क्रेता द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति केबल, टेलेक्स, फेक्स या आदेश-पत्र प्रस्ताव की वैधता तिथि की समाप्ति के पूर्व भेज दी जाएगी तथा ऐसे केबल, टेलेक्स, फेक्स या आदेश पत्र के बाद औपचारिक क्रयादेश ठेका आदेश भेजा जाएगा, निविदाकार, जिसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, जिसे इसके बाद ठेकेदार कहा जाएगा, औपचारिक क्रयादेश, ठेके की प्रतीक्षा न करते हुए प्रस्तावों की अग्रिम स्वीकृति के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कर देगा।

1.14 जिन ठेकेदारों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे, उनको इस आशय की सूचना नहीं दी जाएगी।

### 1.15 प्रशिक्षण (Training)

1.15.1 विशेष मामलों में यदि निदेशक, क्रय एवं भण्डार आवश्यक समझते हैं तो संविदाकार की क्रेता के भारत स्थित इंजीनियरी / तकनीकी कर्मियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए तथा संविदा की निर्माण अवधि के दौरान संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्रों की निर्माण क्रिया पर अपने यहाँ रोजगार सुविधा प्रदान करनी होगी। ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता केवल विशेष संयंत्र / मशीनरी उपस्कर यंत्र तथा विशेषकर निर्मित उपस्करों के लिए ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में, क्रेता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा-व्यय तथा रोजगार-व्यय का वहन किया जाएगा। संविदाकार द्वारा ऐसे प्रशिक्षण को संस्तुति किया जाएगा। जब भी संविदाकार द्वारा स्वयं ऐसे प्रशिक्षण की संस्तुति की जाएगी, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के व्यय की जानकारी भी प्रस्तुत करना होगी तथा स्पष्ट रूप से प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा संस्तुति प्रशिक्षण अवधि दर्शाना होगी।

### 1.16 अनुदेश मैनुअल (Instruction Manual)

1.16.1 उपस्कर / यंत्र / उपस्कर के सम्बन्ध में, जहाँ अनुदेश / प्रचालन मैनुअल की सामान्यतः आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रयोक्ता उपस्कर / यंत्र / उपकरण का समुचित प्रयोग कर सके, संविदाकार को उपस्कर / यंत्र / उपकरण के साथ ऐसी अनुदेश / प्रचालन मैनुअल प्रस्तुत संविदाकार करनी होगी। अपने प्रस्ताव में अनुदेश / प्रचालन मैनुअल दिए जाने संबंधी अपनी सहमति को स्पष्ट रूप से दर्शाए तथा ऐसे अनुदेश / प्रचालन - मैनुअलों का मूल्य, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से बताएं।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

क्रय और भण्डार निदेशालय

## ठेके की सामान्य शर्तें

क्रय एवं भण्डार निदेशालय, इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एकक  
द्वारा जारी आयतीत सामग्री के लिए लागू

(भारत सरकार के अधीन, परमाणु उर्जा विभाग)

**ठेके की सामान्य एवं विशेष शर्तें**  
**क्रय एवं भण्डार निदेशालय, इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एकक**  
**द्वारा जारी आयातित सामग्री के लिए लागू**  
**अनुभाग 1 - ठेके की सामान्य शर्तें**

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
01	प्रस्तावना	04
2.1	परिभाषाएँ तथा व्याख्या	04
2.2	संविदाकार, ठेकेदार की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करने व्यक्ति का प्राधिकार	05
2.3	उप संविदा	05
2.4	आरेख तथा विनिर्देशन	05
2.5	सामान्य आश्वासन	06
2.6	परिवर्तन	06
2.7	पैकिंग	07
2.8	निरीक्षण	07
2.9	मार्किंग	07
2.10	सामग्री की सुपुर्वगी का समर्थन तथा दिनांक ठेके का सार	08
2.11	त्रुटि पूर्ण आपूर्ति का परिशोधन प्रतिस्थापन	09
2.12	निष्पादन प्रमाणित किये जाने सम्बन्धी निरीक्षण का प्राधिकार	09
2.13	संविदा निरस्त किए जाने का परिणाम	09
2.14	आश्वासन	10
2.15	अनुमति या अनुज्ञप्ति	10
2.16	एकस्व प्रतिपूरण	11
2.17	भुगतान का तरीका व शर्तें	11
2.18	बीमा	12
2.19	दावा की गई राशि को रोकना तथा पुनर्ग्रहणाधिकार	12
2.20	अन्य ठेकों के दावे के सम्बन्ध में पुनर्ग्रहणाधिकार	13
2.21	मध्यस्थ	13

**अनुभाग - 2 ठेके की विशेष शर्तें**

2.22	ठेके की विशेष शर्तें	13
2.22.1	आपूर्ति सामान की पूर्णता के प्रति उत्तरदायित्व	13
2.22.2	अन्तिम परीक्षण	14
2.22.3	त्रुटिपूर्ण संयंत्र का निरस्त किया जाना	14
2.22.4	आश्वासन	14
2.22.5	कलपुर्जों की गारंटी	14
2.22.6	निर्माण तथा स्थापन	15
2.22.6.2	निर्माण पूरा करने के लिए समय	15
2.22.7	प्रशिक्षण	15
2.22.8	निष्पादन बंधपत्र	15
	नमूना पत्रक निष्पादन बंधपत्र के लिए - परिशिष्ट अ	16-17

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
क्रय एवं भण्डार निदेशालय  
इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार इकाई  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र  
डाक : केट, इन्दौर- 452 013, (म. प्र.) भारत

दूरभाष क्रं. : +91-731-248-8795/97/98/86, फैक्स : +91-731-248-8800, 2321345, ई-मेल irpuoff@rrcat.gov.in

भाग - 1

ठेके की सामान्य शर्तें

परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भण्डार निदेशालय  
द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं  
के सम्बन्ध में की गई संविदाओं / ठेकों के लिए।

1. प्रस्तावना

1.2 खण्ड - । लिखित शर्तें सभी संविदाओं पर लागू होंगी, जबकि खण्ड-॥ में उल्लिखित शर्तें मशीनरी / उपस्कर / यंत्र संबंधी संविदाओं पर लागू होंगी।

2. संविदा के सामान्य शर्तें

2.1 परिभाषाएँ तथा व्याख्या

2.1.1 संविदा तथा उसे शामिल करने वाले सामान्य तथा विशेष शर्तों में जब तक किसी विशेष संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो निम्न अर्थों में होंगी।

(क) "क्रेता"- का अर्थ है भारत के राष्ट्रपति जिसमें उनके उत्तराधिकारी या समुदेशिती का समावेश होगा

(ख) "निदेशक, क्रय एवं भण्डार" से अभिप्राय है - भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक, क्रय एवं भण्डार, जो इस समय क्रय भण्डार निदेशालय के प्रशासनिक प्रभार में है तथा इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भण्डार निदेशालय के संयुक्त निदेशक, क्रय एवं भण्डार उप-निदेशक, क्रय एवं भण्डार, क्रयाधिकारी या सहायक क्रयाधिकारी या प्राधिकृत अन्य अधिकारी समाविष्ट होंगे। ये क्रेता की ओर से सामान के क्रय तथा आपूर्ति संबंधी संविदाओं का निष्पादन करेंगे।

(ग) "संविदा" का अर्थ या "आपूर्तिकर्ता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जिस व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसको सामान की आपूर्ति हेतु ठेका / क्रय आदेश जारी किया गया है तथा इसके अन्तर्गत उनके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासन तथा अनुमति प्राप्त समनुदेशिती, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होंगे।

(घ) "संविदा" या "क्रयादेश" से अभिप्राय है तथा इसमें समाविष्ट है पत्र केवल या टैलेक्स जिनकी बाद में लिखित पुष्टि की जाएगी जिसमें संविदाकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी तथा जिसमें निविदा का आमंत्रण, प्रस्ताव सहित निविदा, प्रस्ताव की अग्रिम स्वीकृति, प्रस्ताव की स्वीकृति में संविदा की विनिर्दिष्ट सामान्य तथा विशेष शर्तें तथा परस्पर सहमति के आधार पर किये गये परवर्ती संशोधन / परिवर्तन आदि।

- (इ) “सामग्री” या “आपूर्ति” से अभिप्राय है ठेका / क्रय अभिप्राय है ठेका / क्रय आदेश में निदिष्ट वस्तु जिसकी आपूर्ति के लिये संविदाकार / ठेकेदार ने संविदा के अन्तर्गत सहमति दी है।
- (च) “उपठेकेदार” या “उप आपूर्तिकर्ता” का अर्थ है, संविदा क्रय आदेश क्रय आदेश के संबंध में क्रेता की पूर्व-स्वीकृति के साथ संविदाकर्ता या ठेकेदार आपूर्तिकर्ता या ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संविदाकर्ता या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता का नियुक्त किया जाना।
- (छ) “निरीक्षक” या “गुणवत्ता” सर्वेक्षक से अभिप्राय होगा - परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार की संगठित इकाई में कार्यरत कोई अभियंता या क्रेता द्वारा समय-समयपर प्राधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति जो ठेका / क्रय आदेश के अन्तर्गत सामग्री के निरीक्षण के उद्देश्य के लिये उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकें।

## 2.1.2 पक्षकार (Parties to Contract)

2.1.2.1 संविदा के पक्षकार संविदा क्रय आदेश में नामित संविदाकार अर्थात् क्रेता या आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

2.2 संविदाकार, ठेकेदार की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार

2.2.1 संविदाकार ठेकेदार की ओर से ठेका या क्रय आदेश संबंध में संविदा या क्रय आदेश या अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जिनके पास इस आशय का अधिकार - पत्र होना माना जाएगा कि उनके पास संविदाकार को संविदा से बांधने का प्राधिकार है।

## 2.3 उप-संविदा (Sub - Contract)

2.3.1 संविदाकर्ता / आपूर्तिकर्ता क्रेता की पूर्व सम्मति के बिना ठेका या उसके किसी अंश को समनुदेशित, उप - भाड़े पर या प्रत्यायोजित नहीं करेंगे। सम्मति अकारण नहीं रोकी जाएगी किन्तु वह क्रेता की सहमति के बिना ऐसे हिस्से, उपकरण या संबद्ध उपस्कर खरीद सकता है। जिसका सामान्यतः वह निर्माण नहीं कर सकता है।

## 2.4 आरेख तथा विनिर्देशन (Drawing & Specifications)

2.4.1 आरेख तथा विनिर्देशन का उद्देश्य, जो कि पूरक है व आपूर्ति पूरा करने के लिये आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिये इनमें समाविष्ट है। आरेख में दर्शायी गई सामग्री के विषय में यदि विनिर्देशन में विशेष रूप से नहीं बताया गया है या कोई तथ्य इसके विपरीत है तो भी संविदाकर्ता द्वारा सामग्री आपूर्ति उसी प्रकार की जाएगी जैसा इन्हें दर्शाया तथा विनिर्देश जाने पर किया जाता।

2.4.2 यदि आरेख या विनिर्देशन में कोई कमी दिखाई देती है तथा इसकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तो मामले के स्पष्टीकरण के लिये इसे क्रेता को संदर्भित किया जाएगा तथा वही व्याख्या संविदाकार के लिये बाध्यकार होगी अन्यथा संविदाकार आरेख तथा विनिर्देशों की व्याख्या तथा अपने उप ठेकेदारों की व्याख्या का उत्तरदायित्व वहन करेगा।

2.4.3 आरेख या विनिर्देशों के मूल उद्देश्यों या अर्थ के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंतर या विवाद उत्पन्न होता है या उसका कोई अंश अस्पष्ट हो या उसमें एक से अधिक व्याख्या की संभावना हो, तो इस संबंध में क्रेता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।



- 2.4.4 आरेख पर समस्त लेटरिंग, विनिर्देशों तथा ठेके का भाग मानी जाएगी समस्त मामलों में आकृतियों के फिगरेड आयातों का अनुपालन किया जाना चाहिए न कि स्केल द्वारा दर्शायी गयी आकृतियों का बड़े पैमाने में आरेख हो कि छोटे पैमाने पर दिये गये आरेखों पर आग्रता दी जाएगी।
- 2.4.5 क्रेता की स्वीकृति के बाद संविदाकारके आरेखों की सूची में शामिल माना जाएगा, जो ठेके का भाग है। निर्माण कार्य से जुड़े समस्त आरेखों को क्रेता द्वारा भली-भाँति स्वीकार किये जाने के बाद ही ठेकेदार निर्माण कार्य आरंभ करेगा।
- 2.4.6 संविदाकार आपूर्ति किये गये सामान में परिवर्तन के लिये उत्तरदायी होगा तबशा ऐसी स्थिति में परिवर्तन के लिये क्रेता की प्रतिपूर्ति करेगा। संविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये सामान में आरेखों या अन्य विनिर्देशों में अंतर, भूल-चूक के कारण क्रेता द्वारा वहन किये जाने अनुवर्ती व्यय की क्षतिपूर्ति करनी होगी, भले ही ऐसे आरेख या विनिर्देशन को क्रेता द्वारा स्वीकृत किया गया हो या नहीं लेकिन ऐसी कभी भूल या चूक क्रेता की और से संविदाकार को दी गई अथार्थ सूचना या विनिर्देशन के कारण नहीं होना चाहिए।

## 2.5. सामान्य आश्वासन (General Warranty)

- 2.5.1 संविदा के अन्तर्गत ठेकेदार/संविदाकार के द्वारा आपूर्ति किया गया सामान सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता तथा कर्मकौशल का होना चाहिए। संविदा या उसमें किये गये संशोधन जिस पर स्पष्ट रूप से सहमति हो, को छोड़कर किसी अन्तर को निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो संविदा में विनिर्देशन के अनुरूप ही संविदाकार को सामान की आपूर्ति करनी होगी।
- 2.5.2 निविदा विनिर्देशों के अनुरूप भण्डार की आपूर्ति किये जाने संबंधी संविदाकार का प्रस्ताव उनकी ओर से इस तथ्य की स्वीकृति मानी जाएगी कि उन्हें इसके पूर्ण विवरण की भली-भाँति जानकारी प्राप्त है। संविदाकार क्रेता से इस आधार पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने निविदा विनिर्देशों की भली-भाँति जाँच नहीं की थी तथा वे इससे भली-भाँति अवगत नहीं थे।

## 2.6. परिवर्तन (Alteration)

- 2.6.1 क्रेता द्वारा, समय-समय पर आरेखों या विनिर्देशों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा क्रयादेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना अतिरिक्त अनुदेश जारी किया जा सकता है तथापि, आदेश में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे ठेके के अन्तर्गत आपूर्ति के मूल स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र में मूलभूत रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो।
- 2.6.2 संविदा के पक्षकारों के लिये यह बाध्यकारी होगा तथा आपसी सहमति से किसी भी समय या समय-समय पर आरेखों द्वारा निर्दिष्ट कार्यवाहियों में परिवर्तन किया जा सकता है। सामान की आपूर्ति किये जाने हेतु ऐसे परिवर्तित आरेख तथा विनिर्देश निर्दिष्ट तिथि के अनुसार प्रभावी होंगे लेकिन यदि ऐसे परिवर्तन बीजक मूल्य में या उत्पादन के लिये आवश्यक अवधि में बढोत्तरी या गिरावट लाते हैं, तो जिस आपूर्ति के लिये परिवर्तन लगा होता है, के संबंध में संविदा का मूल्य तथा / या डिलेवरी के लिये निर्धारित अवधि में संशोधन अपेक्षित हो तो इसे आपसी सहमति से किया जाना चाहिए। अन्य समस्त मामलों में संविदा की मूल शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

## 2.7. पैकिंग (Packing)

- 2.7.1. संविदाकार अपने खर्च पर समुद्र या वायुमार्ग, जैसी भी स्थिति हो, से भेजने के लिये सामान को समुचित तरीके से, पैकिंग करते हुए सुनिश्चित करेगा कि मार्ग में सामान / सामग्री ठेके में निर्दिष्ट अंतिम स्थान तक जाते समय क्षतिग्रस्त न हो सके।
- 2.7.2. संविदा में जब तक अन्यथा न हो, ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामान के समस्त कन्टेनर जिसमें पैकिंग - केस, बक्से, टीन, ड्रम तथा पैकिंग शामिल है, क्रेता की संपत्ति मानी जाएगी तथा उनका मूल्य संविदा मूल्य में शामिल माना जाएगा।

## 2.8 निरीक्षण (Inspection)

- 2.8.1. संविदा / क्रयदेश में शामिल विनिर्देशों के अनुरूप आवश्यक सभी निरीक्षणों / परीक्षणों व उनके निष्पादन के लिये संविदाकार उत्तरदायी होगा।
- 2.8.2. क्रेता अपनी इच्छा पर ठेके के अन्तर्गत आपूर्ति किये जाने वाले सामान के निरीक्षण के लिये अपने प्रतिनिधि को नियोजित कर सकता है या इस उद्देश्य के लिये अपनी इच्छा की गुणवत्ता, निगरानी एजेंसी को प्राधिकृत / नामित कर सकता है जिसे इसके बाद दोनों ही मामलों में निरीक्षक कहा जाएगा।
- 2.8.3. आपूर्तिकर्ता को सामान / वस्तुओं के निरीक्षण के लिये अपनी सहमति की सूचना निरीक्षण खण्ड - 2.8.2. के अन्तर्गत नियुक्त को देनी होगी जिसमें निरीक्षक अपेक्षित समय पर उपस्थित हो सके। ऐसी स्थिति में क्रेता को निरीक्षक से प्राधिकार या शीपींग रिलीज प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक आपूर्ति की जाएगी।
- 2.8.4. संविदाकार निरीक्षण के उद्देश्य के लिये या संविदा के अन्तर्गत सामान की सुपुर्दगी की अवधि सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षक को अपने कार्य / फैक्ट्री पर उचित सुविधाएं तथा निर्माण रूप से पहुँच की अनुमति देगा।

## 2.9. मार्किंग (Marking)

- 2.9.1. संविदा के अन्तर्गत सुपुर्द किये गये प्रत्येक बंडल / पैकेजों पर, संविदाकार को अपने खर्च पर पैकेजों के तीन और चिन्हित करना होगा। ऐसा चिन्हांकन सुभिन्न होना चाहिए तथा जिसमें स्पष्ट रूप से सामान का विवरण, मात्रा, परेषिती का नाम व पता, पैकेज की शकल तथा शुद्ध वजन, संविदाकार का नाम, अंतिम गन्तव्य, डिस्चार्ज का पोर्ट आदि सुदृश्य व स्पष्ट होना चाहिए।

मार्किंग सामान्यतः निम्नानुसार होना चाहिए :

परेषिती का नाम तथा पता :

क्रय एवं परमाणु भण्डार निदेशालय  
भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
इन्दौर क्षेत्रीय क्रय इकाई  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र  
डाक : केट, इन्दौर- 452 013 म. प्र. (भारत)

क्रय आदेश क्रमांक तथा दिनांक

माल का संक्षिप्त विवरण

वजन

आकार का स्वरूप

अन्तिम गन्तव्य

पैकेज क्रमांक

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- 2.9.2. प्रत्येक बंडल (पैकेज) में पैकेज नोट होना चाहिए जिसमें संविदाकार का नाम तथा पता, संविदा का क्रय आदेश नं. तथा दिनांक, पारेषिती का नाम तथा पता, सामग्री का विवरण तथा ऐसे पैकेज में निहित (पैक) रखे गया सामान की मात्रा दर्शाया गई हो।
- 2.9.3 क्रेता द्वारा, खण्ड 2.8.2. के अन्तर्गत तैनात निरीक्षक, सामग्री वस्तुओं को अस्वीकार कर सकता है। यदि सामान पूर्वोक्तानुसार पैक नहीं है या चिन्हांकन नहीं है अथवा यदि पैकिंग सामग्री, जो विशेष रूप से वर्णित है, लेकिन संविदा की शर्तों के अनुसार नहीं है।
- 2.10 सामग्री की सुपुर्दगी (डिलेवरी) का समय तथा दिनांक - ठेके का सार।
- 2.10.1 ठेके में नियत सामान की सुपुर्दगी का समय तथा दिनांक, ठेके का सार माना जाएगा अतः सुपुर्दगी नियत तिथि/तिथियों के बाद नहीं होना चाहिए।
- 2.10.2 सुपुर्दगी (डिलेवरी) की समय सीमा अनुसूचि का विस्तार
- 2.10.2.1 यदि डिलेवरी में देरी किसी ऐसे कारण से हुई हो, जिसे क्रेता सुपुर्दगी समय सारिणी (डिलेवरी अनुसूचि) के विस्तार की स्वीकृति के लिये समुचित आधार के रूप में स्वीकार कर सके, जैसे हड़ताल, तालाबन्दी, आग, दुर्घटना, दंगा, आदि तो क्रेता की परिस्थिति पर विचार करते हुए, इस प्रयोजन हेतु आवश्यक ऐसी अतिरिक्त अवधि की अनुमति देगा।
- 2.10.3 यदि संविदाकार सामान की किसी किरात / अंश के ऐसी डिलेवरी के निर्धारित ऐसी अवधि या क्रेता द्वारा पूर्वगत पैरा के अनुसार अनुमति दी गई ऐसी अतिरिक्त अवधि के अन्दर, संविदा निष्पादन पूर्ण करने वाली अवधि की समाप्ति पर आपूर्ति करने में असफल रहता है तो निदेशक, क्रय एवं भण्डार क्रेता के अधिकारों को प्रभावित किये बिना -
- (1) संविदाकार से पूर्व सहमति के अनुसार परिसमापित हर्जाना वसूली कर सकता है। यह वसूली अर्धदण्डके रूप में नहीं होगी। हर्जाना की राशि उस सामान के मूल्य के 2% के बराबर होगी जिसे संविदाकार ने संविदा में डिलेवरी के लिये निर्धारित अवधि में या पैरा 2.10.2.1. में वर्णित ऐसी अतिरिक्त अवधि में डिलेवरी नहीं किया था यह हर्जाना प्रतिमाह या माह के उस अंश के लिये होगा जिसमें ऐसा सामान की डिलेवरी अवशेष होगा तथा डिलेवरी पूर्वोक्त अवधि को कथित अंश की देरी से आपूर्ति किये जाने के कारण नहीं किया जा सकता है तो प्रावधान के अन्तर्गत देरी से की गई आपूर्ति के लिये नुकसान की गणना करने के लिये, सम्पूर्ण संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र के मूल्य पर विचार किया जाएगा।

अथवा

- (2) जिन सामान / यंत्र / उपस्कर आदि की आपूर्ति नहीं की गई है, के अंश के संबंध में ठेके को रद्द किये बिना या सामान प्रकृति की अन्य सामग्री को ठेकेदार के जोखिम पर ठेकेदार को सूचना दिये बिना अन्यत्र से खरीद सकता है या खरीद के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

(3) यदि निदेशक, क्रय एवं भण्डार के अभिमत में सामान ठेका विनिर्देशों के बिल्कुल समान नहीं है तो ठेका या उसका कोई अंश रद्द कर सकता है तथा यदि चाहे तो आपूर्ति नहीं की गई सामग्री के सामान प्रकृति की अन्य सामग्री खरीद सकता है या खरीदने के लिये प्राधिकृत कर सकता है। ऐसी स्थिति में उनका मत अंतिम माना जाएगा तथा ठेकेदार को जोखिम तथा खर्च पर उसे तैयार तथा प्राप्त किया जाएगा। यदि संविदाकार मूल संविदा के निष्पादन में चूक करता है तो क्रेता उसका प्रस्ताव न्यूनतम होने के बावजूद क्रय / आपूर्ति में जो जोखिम को देखते हुए उपेक्षित कर सकता है।

2.10.4 यदि पैरा 2.10.3 उपखण्ड II, उपखण्ड III के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तो संविदाकार इस संबंध में क्रेता को हुई क्षति को वहन करेगा लेकिन ऐसी आपूर्ति के लिये निर्धारित अवधि के अंदर सामान की डिलेवरी न करने पर, डिलेवरी न करने तिथि से 6 माह में तथा डिलेवरी की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व ठेके निराकरण के मामले में ठेका रद्द किये जाने की तिथि से 6 माह में क्रेता की खरीद का करार होगा। संविदाकार ऐसी खरीद पर किसी प्रकार के लाभ के लिये पात्र नहीं होगा तथा ऐसी खरीद का प्रकार तथा तरीका पूर्णतया निदेशक, क्रय एवं भण्डार की इच्छा पर निर्भर होगा। क्रेता के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसी खरीद की सूचना ठेकेदार को दे

2.11. त्रुटि पूर्ण आपूर्ति का परिशोधन प्रतिस्थापन

2.11.1 यदि निरीक्षक पाता है कि ठेकेदार ने निकृष्ट या दोषपूर्ण कार्य निष्पादन किया है तो निरीक्षक संविदाकार से ऐसी त्रुटियों का उल्लेख करेगा तथा संविदाकार ऐसी त्रुटियों या कमियों का विवरण प्राप्त होने पर अपने खर्च पर 7 दिन के अन्दर या समुचित रूप से आवश्यक ऐसे समय के अन्दर, जिस पर आपसी सहमति की गई हो, आपूर्ति किये गये सामान का निविदा विनिर्देशों द्वारा निर्धारित / अपेक्षित स्तर तथा विनिर्देशों के स्तर पर परिवर्तित, पुनर्निर्माण या पुनर्विनिर्माण करेगा।

2.12. निष्पादन प्रमाणित किये जाने संबंधी निरीक्षक का प्राधिकार

2.12.1. जहाँ कहीं भी क्रेता द्वारा खण्ड 2.8.2. के अन्तर्गत निरीक्षक की तैनाती की जाती है, वहाँ उसके निम्नलिखित अधिकार होंगे -

(क) यह निरीक्षण हेतु प्रस्तुत सामग्री / संयंत्र / उपस्कर या उसके किसी भाग के लिये यह प्रमाणित करे कि वह विनिर्माण में असंतोषजनक तरीके को अपनाने के कारण, संविदा की अपेक्षा के अनुसार नहीं हो सकते।

(ख) वह विनिर्देशों के अनुसार न होने के कारण निरीक्षण केलिये प्रस्तुत सामग्री को पूरी तरह या उसके किसी भाग को रद्द कर दे।

2.13 संविदा निरस्त किये जाने का परिणाम

2.13.1 यदि निरीक्षक का पारेषिती द्वारा आपूर्ति सामान रद्द कर दिया जाता है या संविदाकार आपूर्ति हेतु नियत अवधि में संतोषजनक आपूर्ति नियत स्थान पर नहीं करता है तो निदेशक, क्रय एवं भण्डार निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है -

- (क) निर्दिष्ट समय में, उस निरस्त की गई सीमा तक, सामग्री के प्रतिस्थापन हेतु संविदाकार को अनुमति दे सकते हैं कि वह नई सामग्री निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करे। ऐसे प्रतिस्थापन का भाड़ा व्यय आदि संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा इसके लिये वह किसी अतिरिक्त भुगतान का पात्र नहीं होगा।
- (ख) संविदाकार / ठेकेदार को सूचना दिये बिना व उसके जोखिम तथा खर्चों पर संविदा के अन्तर्गत शेष सामान की अगली आपूर्ति संबंधी दायित्व को प्रभावित किये बिना निरस्त किये गये भण्डार की मात्रा या सामान की प्रकृति की अन्य सामग्री खरीद ले या उसकी खरीद के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दे जहाँ निदेशक, क्रय एवं भण्डार के मत में भण्डार विनिर्देशों के बिलकुल अनुरूप नहीं हो वहाँ उनका निर्णय अन्तिम माना जाएगा।
- (ग) संविदा निरस्त करने तथा ठेकेदार के जोखिम तथा खर्चों पर सामग्री या सामान खरीद ले या खरीदने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दे। जब निदेशक, क्रय एवं भण्डार के मत में सामग्री विनिर्देशों के बिलकुल अनुरूप न हो ऐसी स्थिति में उनका मत अन्तिम माना जाएगा। यदि इस उपखण्ड के ऊपर दिये गये उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तो खण्ड 2.10.3. को प्रावधान जहाँ तक लागू होते होंगे लागू होंगे।

## 2.14 आश्वासन (Warranty)

2.14.1 संविदाकार आश्वासन करता है कि संविदा के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री, कर्म-कौशल तथा विनिर्देश की दृष्टि से समस्त त्रुटियाँ तथा चूकों से मुक्त होगी तथा सर्वोत्कृष्ट होगी तथा संविदा के अन्तर्गत श्रेणी के भण्डार के लिए स्थापित तथा सामान्यतः स्वीकृत मानकों के सुसंगत होगा तथा पूर्णतया विनिर्देशों, आरेखों का नमूना, यदि कोई हो, के अनुरूप होगा तथा यदि सामग्री प्रचालन के लिए हैं तो भलीभांति प्रचालित होगी। यह आश्वासन संविदा के नियत अन्तिम स्थान तक (ठेके के अन्तर्गत) सामान की अन्तिम खेप पहुँचने की अन्तिम तारीख 12 माह के बाद ऐसी तिथि को समाप्ति के पूर्व संविदाकार को सूचित की गई शिकायतों को छोड़कर) समाप्त हो जाएगी।

2.14.2 यदि संविदाकार द्वारा ठेके के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये सामान में कोई त्रुटि या कमी भारत में आपूर्ति किये गये सामान में तिथि से 12 माह के अंदर दिखाई देती है या पाई जाती है तो क्रेता द्वारा ऐसी त्रुटि या कमी की सूचना दिये जाने पर संविदाकार को तत्काल ऐसी प्रत्येक त्रुटि, कमी या चूक को ठीक करने के उपाय करना होंगे जिसका व्यय क्रेता द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। यदि संविदाकार ऐसी सूचना के बाद क्रेता की संतुष्टि के अनुसार ऐसी समस्त त्रुटियाँ, कमी या चूक को यथा-साध्य सूचना देने के बाद क्रेता की संतुष्टि के अनुसार ऐसी समस्त त्रुटियाँ, कमी या चूक को यथा-साध्य परिशोधन करने में चूक या देरी करता है तो क्रेता खण्ड 2.10.2 में दिए गये उपायों, जो लागू होते हों का आश्रय ले सकता है।

## 2.15 अनुमति या अनुज्ञप्ति (Permit and Licences)

संविदाकार के लिये आवश्यक होगा कि संविदा के अन्तर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों के समस्त कानून, अध्यादेश तथा विनियम के अनुरूप जो आवश्यक परमिट व अनुज्ञप्ति शुल्क आदि उसके अपनी और से देय हों, का भुगतान करे तथा उन्हें प्राप्त करे। संविदाकार समस्त नुकसानों के लिये

उत्तरदायी होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति करेगा तथा नुकसानों एवं दायित्वों के लिये समस्त दावों से क्रेता को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होने देगा जो संविदाकार द्वारा ऐसे किसी लाइसेन्स तथा परमिट प्राप्त करने या भुगतान करने में संविदाकार की चूक से उत्पन्न होंगे या लागू होने वाले समस्त या किसी एक कानून, अध्यादेश तथा विनियम का पूर्णतया या आंशिक पालन करने में चूक के कारण उत्पन्न होंगे।

## 2.16 एकस्व प्रतिपूरण (Patent Idemnification)

- 2.16.1 संविदा के अन्तर्गत आपूर्ति किए जाने वाले सामान के लिए संविदाकार अपने द्वारा अपनाए गए विनिर्माण के किसी तरीके या प्रक्रिया का अपनी या ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामान के संबंध में किसी प्रारूप योजना, रेखाचित्र, आरेख के पेटेंट - राईट, कॉपी-राइट या अन्य सुरक्षित अधिकार के अतिलंघन के लिए या इस संबंध में समस्त या किसी दावे, कार्यवाही, लागत तथा व्यय के कारण क्रेता के विरुद्ध उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति संविदाकार द्वारा की जाएगी।
- 2.16.2 उपरोक्त खण्ड 2.16.1. में सन्दर्भित मामले के संबंध में क्रेता के विरुद्ध किए गए किसी दावे पर की गई कार्यवाही के मामले में, संविदाकार का तत्काल इस संबंध में सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने खर्च पर उसके निपटारे तथा उससे उत्पन्न मुकदमेबाजी के लिए सभी बातचीत स्वयं करनी होगी।
- 2.16.3 यदि संविदाकार द्वारा प्रयुक्त, आरेख योजना से डायग्राम या विनिर्माण सम्बन्धी किसी तरीके या प्रक्रिया से पेटेन्ट या किसी अन्य ऐसे आरक्षित अधिकार जिसका उपयोग प्रतिबाधित है का अतिलंघन होता है, ऐसी स्थिति में संविदाकार क्रेता को अपने खर्च पर, उपयोग करने का अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा या जहाँ तक संभव हो इन्हें उसे प्रतिस्थापित कराएगा जिससे एक अतिलंघन से बचा जा सके तथा यदि किसी भी प्रकार की सहमति की आवश्यकता हो तो इसे क्रेता से प्राप्त कर लिया जाए या इन्हें इस प्रकार अशोधित किया जाए कि वे अतिलंघन न करें ताकि तथापि ऐसे समस्त आशोधन क्रेता की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए।
- 2.16.4 इस खण्ड में प्रावधान संविदा के पूर्ण निष्पादन होने, समाप्त होने के बाद भी संविदाकार पर प्रभावी तथा बाध्यकर होंगे।

## 2.17 भुगतान का तरीका (Mode and Condition of Payment)

- 2.17.1 संविदा में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं होने पर संविदा में निर्दिष्ट बैंक से, निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि के 15 दिन के अन्दर क्रेता को पूर्ण भुगतान (कमीशन की राशि छोड़कर जो क्रेता द्वारा भारतीय एजेंट को भारतीय रूपों में सीधे देय व मूल्यों में शामिल है) करना होगा :-
- |   |                |
|---|----------------|
| (क) प्रेषण (लैंडिंग) हेतु परक्राम्य बिल या वायुमार्ग का बिल, जैसा भी मामला है, लगान सिद्ध करने पर।  |                |
| (ख) लदान के लिये बीजक   | : चार प्रतियाँ |
| (ग) पैकिंग सूची   | : चार प्रतियाँ |
| (घ) मूल देश का प्रमाण पत्र  | : दो प्रतियाँ  |
| (ङ) निरीक्षक से या निरक्षण के लिये क्रेता द्वारा नामित गुणवत्ता एजेन्सी से शिपिंग हेतु अनुमति   | : चार प्रतियाँ |
| (च) गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा रासायनिक विश्लेषण परिक्षण प्रमाण पत्र, जहाँ लागू होता हो   | : चार प्रतियाँ |
| (छ) अनुभाग -2 के खण्ड 2.2.2.8 में दिये गये अनुसार निष्पादन बंध-पत्र के लिए संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र के संबंध में ठेके के मूल्य के प्रतिशत के लिए बैंक गारंटी |                |

2.17.2. डेकेदार भारत के (क्लीयरेंस) सीमा शुल्क निपटारे के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्रेता को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। संविदाकार अपने बैंक द्वारा क्रेता के बैंक को बिना किसी देरी के दस्तावेज, हवाई जहाज भेजने की व्यवस्था करेगा। वह निदेशक, क्रय तथा भण्डार को सीधे लैंडिंग का परक्राम्य बिल या वायु मार्ग बिल जैसा भी मामला हो, तीन प्रतियों में तथा बीज एवं पैकिंग सूची की एक प्रति अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा। यदि क्रेता को भारत में पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण को अर्धदण्ड के रूप में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है या उनके द्वारा निर्दिष्ट डिपॉजिट दस्तावेज की पावती में देरी के कारण करना पड़ता है तो क्रेता द्वारा व्यय की गई ऐसी अतिरिक्त राशि की भरपाई के लिये संविदाकार उत्तरदायी होगा।

### 2.17.3 बैंक का प्रभार (Bank Charges)

2.17.3.1 जहाँ क्रेता द्वारा बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई/मद्रास) को देय बैंक का प्रभार का वहन किया जाएगा, वहाँ संविदाकार द्वारा अपने बैंक को देय प्रभार तथा परामर्शदात्री / संशोधन प्रभार आदि का वहन किया जाएगा।

### 2.17.4. एजेंसी कमीशन (Agency Commission)

2.17.4.1 मूल्य में शामिल कमीशन के राशि तथा संविदा में भारतीय एजेंट देय कमीशन राशि का भुगतान क्रेता द्वारा भारतीय एजेंट को सीधे उसके बराबर की राशि भारतीय रूपयों में, भारतीय एजेंट के बीजक के आधार पर किया जाएगा। क्रेता द्वारा माल की प्राप्ति तथा इसके अन्तिम अनुमोदन के बाद भारतीय एजेंट के कमीशन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। विनिमय दर संविदाकार को भुगतान किए जाने वाली दर पर निर्भर करेगा।

2.17.4.2 क्रेता द्वारा भारतीय एजेंट को सीधे भुगतान किए जाने वाली एजेंसी कमीशन, जो बीजक में कमीशन है, को घटाने के बाद संविदाकार को देय शुद्ध राशि के लिए ही संविदाकार बीजक प्रस्तुत करेगा लेकिन संविदाकार के द्वारा बीजक में अपने भारतीय एजेंट को देय कमीशन की राशि अलग से दर्शायी जानी चाहिए।

### 2.18 बीमा (Insurance)

2.18.1. एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक के लिए परिवहन बीमा की व्यवस्था क्रेता द्वारा अपने अभिगोपकों (अन्डर राईट्स द्वारा कराई जाएगी, जब तक कि किसी विशेष मामलों में डेकेदार को विनिर्दिष्ट रूप से यह उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया हो।

### 2.19. दावा की गई राशि को रोकना तथा पुनर्ग्रहण अधिकार (With-holding and lien in respect of sums claimed)

2.19.1 जब कभी भी संविदाकार के प्रसंगत संविदा से या संविदा के अन्तर्गत किसी अन्य धनराशि / के भुगतान के लिये किसी अन्य पक्षकार द्वारा / दावे किया / किये जाते हैं तो क्रेता के साथ किए गए इस डेके या किसी अन्य डेके के अन्तर्गत या किसी अन्य व्यक्ति जो निदेशक क्रय एवं भण्डार के माध्यम से डेका करता है, साथ किए गये डेके के अन्तर्गत देय या प्राप्त में देय होने वाली किसी राशि से, दावा की गई ऐसी राशि की सीमा तक राशि को रोकने तथा उसके पुनर्ग्रहण अधिकारी का मात्र होगा, जिससे सन्दर्भित दावा की गई राशि का अन्तिम भुगतान किया जा सके।

2.19.2 यह संविदा की निर्धारित शर्त है कि उपरोक्त पुर्नग्रहणाधिक के अन्तर्गत क्रेता द्वारा इस प्रकार रोकी गई या प्रतिधारित की गई धनराशि, क्रेता द्वारा तब तक रोकी / प्रतिधारित की जाएगी जब तक कि मध्यस्थ द्वारा प्रश्नगत संविदा में या संविदा के अन्तर्गत अन्य दावा निपटाया नहीं जाता। संविदाकार द्वारा इस प्रकार भलीभाँति सूचित तथा उपरोक्त संदर्भित पुर्नग्रहणाधिकार के अन्तर्गत ऐसी रोक प्रतिधारण के सम्बन्ध में संविदाकार को किसी प्रकार का ब्याज या नुकसान जो भी हो के लिए संविदाकार किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा।

## 2.20 अन्य ठेकों में दावे के संबंध में पुर्नग्रहणाधिकार (Line in respect of claims in other contracts)

2.20.1 संविदा के अन्तर्गत ठेकेदार पर बकाया तथा उन्हें देय धनराशि (तथा उन्हें वापस लौटाई जाने वाली जमानत जमा के साथ) ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जो निदेशक क्रय एवं भण्डार के माध्यम से ठेका करते हैं, द्वारा पुर्नग्रहणाधिकार के अन्तर्गत रोकी या प्रतिधारित की जा सकेगी। यह रोक प्रतिधारण, क्रेता के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संविदाकार द्वारा किये गये किसी अन्य ठेके से या इसके अन्तर्गत धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी दावे के विरुद्ध किया जाएगा

2.20.2 संविदा में यह अवधारित है कि क्रेता द्वारा इस खण्ड के अन्तर्गत इस प्रकार रोकी गई या प्रतिधारित, क्रेता द्वारा तब तक रोकी या प्रतिधारित की जाएगी जब तक कि इस ठेके या किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत किया गया यह दावा आपस में सुलझा नहीं लिया जाता या मध्यस्थ द्वारा अवधारित नहीं कर लिया जाता तथा संविदाकार द्वारा भलीभाँति सूचित तथा इस खण्ड के अन्तर्गत रोकी गई या प्रतिधारित धनराशि के संबंध में इस आधार पर या किसी अन्य आधार पर ठेकेदार ब्याज या नुकसान जो भी हो, का दावा नहीं करेगा।

## 2.21 मध्यस्थ (Arbitration)

2.21.1 वर्तमान संविदा के संबंध में उठने वाले समस्त विवाद इन्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुलह तथा मध्यस्थता नियमों के अन्तर्गत अंतिम रूप से कथित नियमों के अनुसार नियुक्त एक या एकाधिक मध्यस्थों द्वारा निपटाए जाएंगे।

भाग - II

खण्ड - II

उपरोक्त खण्ड - 1 में निहित संविदा की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / निर्मित उपस्कर की आपूर्ति के लिये किए गए संविदाओं पर विशेष शर्त भी खण्ड - 1 की सामान्य शर्तों के स्थान पर मान्य होगी विशेष शर्त, जहाँ खण्ड 1 की शर्तों से भिन्न होंगी वहाँ पर पूर्व में निहित शर्तों पर अधिमान्य होंगी

## 2.22 ठेके की विशेष शर्तें (Special Conditions of Contract)

2.22.1 आपूर्तित सामान की पूर्णता के प्रति उत्तरदायित्व  
(Responsibility for completeness)

समस्त फिटिंग तथा उपसाधन, जिनका ठेके के निविदा विनिर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है लेकिन जो आवश्यक है, ठेकेदार द्वारा बिना अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराए जाएँगे। संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र हर प्रकार से पूरे होने चाहिए।



## 2.22.2' अन्तिम परीक्षण (Final Test)

2.22.2.1 संस्थापक कार्य पूरा होने के एक माह के अन्दर निष्पादन तथा गारंटी संबंधी अन्तिम परीक्षण आरंभ किया जाएगा

2.22.3 त्रुटि पूर्ण संयंत्र का निरस्त किया जाना

2.22.3.1 अन्तिम-रूप से स्वीकार किये जाने से पूर्व यदि पूरा किया संयंत्र या उसका कोई भाग त्रुटि पूर्ण पाया जाता है या संविदा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो क्रेता ठेकेदार को ऐसी त्रुटि या चूकों का विवरण / सूचना तत्काल देगा तथा संविदाकार द्वारा तत्काल त्रुटि पूर्ण संयंत्र का परिशोधन किया जाएगा, उसे बदला जाएगा जिससे ठेके की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यदि संविदाकार निर्धारित समय के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो क्रेता सम्पूर्ण या आंशिक-संयंत्र जो त्रुटि पूर्ण हो, जैसा भी मामला हो या ठेके की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है रद्द कर सकता है या संविदाकार के खर्च पर प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसा प्रतिस्थापन क्रेता द्वारा समुचित समय के अन्दर तथा समुचित मूल्य पर तथा जहाँ तक समुचित रूप से समान गुणवत्ता व किस्म विनिर्देशों के अन्तर्गत संभव होगा, कराया जाएगा। संविदाकार क्रेता को आपूर्ति किये गये या निर्माण जैसा कि संविदा में दिया गया है, ऐसे प्रतिस्थापन यदि कोई हों, का अतिरिक्त मूल्य भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। यह अतिरिक्त मूल्य ऐसा प्रतिस्थापन के लिये उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत क्रेता द्वारा भुगतान किये गये मूल्य तथा संविदा मूल्य का अन्तर होगा। ऐसे त्रुटि पूर्ण संयंत्र के संबंध में संविदाकार को भुगतान की गई राशि को क्रेता को वापस लौटाया जाएगा।

## 2.22.4 आश्वासन (Warranty)

2.22.4.1 संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र का प्रचालन आरंभ हो जाने के बाद 12 कैलेंडर माह की अवधि में या संयंत्र / मशीनर / उपस्कर / यंत्र की प्रकृति के आधार पर अंतिम बड़े लगान की तिथि से गणना की जाने वाली समुचित लंबी अवधि के लिये, जो आपसी सहमति से तय की गई हो, ठेकेदार द्वारा संयंत्र में प्रयुक्त, त्रुटि पूर्ण सामग्री, अभिकल्प या कर्म-कौशल से उत्पन्न संविदा में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा समुचित व सावधानीपूर्वक उपयोग के बावजूद विकसित होने वाली त्रुटियों के लिये संविदाकार उत्तरदायी होगा। संविदाकार अपने खर्च पर परिशोधित करेगा।

2.22.4.2 यदि इस खण्ड के अन्तर्गत परिशोधन के प्रयोजन हेतु संयंत्र के किसी त्रुटि पूर्ण अंश की प्रतिस्थापना या नवीनीकरण करना ठेकेदार के लिये आवश्यक हो जाता है तो इस खण्ड के प्रावधान इस प्रकार प्रतिस्थापन या नवीनीकरण किये गये संयंत्रों के अंशों पर, ऐसे प्रतिस्थापना या नवीनीकरण की तिथि से 6 माह की समाप्ति तक या उपरोक्त वर्णित 12 माह की अवधि की समाप्ति पर जो भी बाद में हो, लागू होंगे। यदि कोई त्रुटि समुचित समय के अंदर परिशोधित नहीं की जाती है तो क्रेता ठेकेदार के ज़ोखिम तथा खतरे पर काम पूरा कर सकता है तथा ऐसी त्रुटियों के संबंध में संविदाकार के विरुद्ध क्रेता को प्राप्त अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

2.22.4.3 आश्वासन अवधि के दौरान संविदाकार द्वारा किये जाने वाले समस्त निरीक्षण समायोजन, प्रतिस्थापन या नवीनीकरण संविदा में दी गई शर्तों के अनुसार होंगे।

## 2.22.5 कलपुर्जे की गारंटी (Warranty of Parts)

2.22.5.1 ठेकेदार को वचन देना होगा कि कलपुर्जे का उत्पादन बन्द करने से पहले उसे क्रेता को पर्याप्त अग्रिम सूचना

देनी होगी जिससे क्रेता यदि चाहे तो कल-पुर्जा सम्बन्धी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोक में आर्डर दे सके

2.22.5.2 ठेकेदार को इस बात की गारंटी भी देनी होगी कि यदि वह कल-पुर्जा का उत्पादन बंद करता है तो ब्लू प्रिंट कलपुर्जा के आरेख तथा सामग्री का विनिर्देशन क्रेता को निःशुल्क देगा जिससे यदि तथा जब उसे उपस्कर के संबंध में आवश्यकता पड़ती है तो क्रेता को अन्य स्रोतों से ऐसे कलपुर्जा का निर्माण कर सके या प्राप्त कर सके

2.22.5.3 इस खण्ड के प्रावधान संविदाकार पर संविदा के पूरे होने / समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे तथा जब तक लागू रहेगा जब तक संविदा के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये संयंत्र / मशीनरी / उपस्करों का उपयोग क्रेता द्वारा किया जाता रहेगा।

## 2.22.6 निर्माण तथा स्थापन (Erection & Commissioning)

2.22.6.1 समस्त मामलों में जहाँ क्रेता के परिसर में निर्माण तथा स्थापना के पर्यवेक्षण के लिये या परीक्षण के लिये प्रावधान है, क्रेता उन मामलों को छोड़कर, जहाँ अन्यथा विनिर्दिष्ट हैं, समय-समय पर आवश्यकतानुसार तथा संविदाकार द्वारा माँग किये जाने पर ऐसे सामग्री, श्रम, ईंधन व सामान / उपकरण तथा यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराएगा जिससे दक्षतापूर्वक निर्माण तथा स्थापन तथा परीक्षण कार्य पूरा करने के लिये बिजली की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी बिजली ठेकेदार को निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी।

### 2.22.6.2 निर्माण पूरा करने के लिये समय (Time for Completion of Erection)

2.22.6.2.1 निर्माण तथा स्थापना पूरा करने के लिये निश्चित / समय ही ठेके का सार होगा तथा ठेकेदार की और से देरी या चूक होने पर, क्रेता को हक होगा कि वह संयंत्र / मशीनरी / उपस्कर / यंत्र के निर्माण तथा स्थापन कार्य करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करे तथा इस संबंध में क्रेता द्वारा वहन किये गये अतिरिक्त खर्च के भुगतान के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

2.22.6.2.2 प्रावधानों के अन्तर्गत क्रेता द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप ठेकेदार के अन्तर्गत अपने आश्वासन / दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता।

## 2.22.7 प्रशिक्षण (Training)

2.22.7.1 निदेशक, क्रय एवं भण्डार द्वारा चाहे जाने पर, ठेकेदार द्वारा क्रेता के भारतीय अभियंत्रिकों तथा तकनीकी कर्मियों को, तथा ठेके / भंडार के सम्पूर्ण निर्माण कालीन अवधि के दौरान निर्माण प्रक्रियाओं का प्रचालन व उनके साथ अन्योन्य संबंध के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। ऐसे कर्मियों की संख्या आपसी सहमति से तय की जाएगी।

## 2.22.8 निष्पादन बंध पत्र

2.22.8.1 ठेकेदार एक निष्पादन बंध पत्र बैंक गारंटी के प्रारूप में तैयार करेगा जो कि परिशिष्ट ए के नमूना पत्रक के अनुसार होगा। यह ठेके की कुल राशि के 10% के बराबर होगी। ठेके की अन्तर्गत आपूर्ति की गई मशीनरी, प्लांट, उपकरण, संयंत्र के संतुष्ट स्थापन के लिये जमा की गई यह राशि सुरक्षा के रूप में होगी जो कि वारंटी काल की समाप्ति तक वैध मानी जाएगी।

## परिशिष्ट "ए"

### प्रति

भाग - II, खण्ड - II, संविदा निष्पादन बंधपत्र की विशेष शर्तें  
(संविदाकार के बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए)

भारत के राष्ट्रपति,  
(निदेशक, क्रय एवं भण्डार के माध्यम से)  
क्रय एवं भण्डार इकाई  
इन्दौर - 452 013 (म.प्र.)  
(भारत)

जबकि.....

पर / के पता.....

जिनका पंजीकरण कार्यालय है जिन्हें (इसके बाद संविदाकार कहा जाएगा) ने.....

की आपूर्ति के लिए (जिसे इसके बाद संविदा कहा जाएगा) भारत के राष्ट्रपति, को जो निदेशक, क्रय एवं भण्डार, परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से कार्यरत है (इसके बाद क्रेता कहा जाएगा) के साथ दिनांक..... को करार क्र. .... किया।

तथा जबकि संविदा की शर्तों व नियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले अन्तिम भुगतान जो रूपया..... से कम है, संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बंध पत्र के विरुद्ध किया जाएगा। यह कि कथित उपस्कर के प्रचालन दिनांक..... से 12 माही के अवधि के लिये या परेषण के अन्तिम खेप की प्राप्ति तिथि से..... माह के लिये, जो भी पहले हो, बैंध.....(इसके) बाद उपस्कर कहा जाएगा, के सन्तोषजनक निष्पादन के लिए ठेके के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि..... लिए है।

अब ठेकेदार के साथ ठेके के अन्तर्गत..... अन्तिम / शेष राशि के भुगतान तथा प्रतिफल का विचार करते हुए हम..... बैंक इस बात पर सहमत हैं तथा वचन देते हैं कि हम ठेकेदार की ओर से निदेशक, क्रय एवं भण्डार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग को बिना किसी आपत्ति के तथा माँग किये जाने..... पर तक की राशि का भुगतान कथित उपस्कर के असन्तोषजनक निष्पादन के कारण क्रेता को हुई क्षति या नुकसान के लिए करेंगे। तथा हम इस बात पर भी सहमत हैं कि कथित उपस्कर असन्तोषजनक निष्पादन दे रहा है या नहीं तथा कथित उपस्कर के असन्तोषजनक निष्पादन के लिए क्रेता को हुई क्षति या नुकसान की राशि के संबंध में कथित निदेशक, क्रय एवं भण्डार का निर्णय हम पर अन्तिम तथा बाध्यकर होगा।

तथा हम..... (बैंक) इससे आगे सहमत हैं कि क्रेता तथा ठेकेदार के बीच होने वाले किसी ऐसे करार के कारण, जो हमारी जानकारी में तथा / या सहमति के साथ हो या न हो, जो ठेके से संबंधित भुगतान, समय निष्पादन या अन्य किसी मामले, जो भी हों, के संबंध में क्रेता द्वारा ठेकेदार के प्रति आसक्ति या परिहार दर्शाने के कारण हो या न हो, लेकिन जिससे इस प्रावधान के लिये कानून के अन्तर्गत जमानत का उन्मोचन कर देने वाला हो, हम यहाँ दिये गये दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

हमारी गारंटी तब तक प्रभावी रहेगी जब तक इस गारंटी के अन्तर्गत कोई दावा ऐसा किये जाने की तिथि के 6 माह के अन्दर हमसे नहीं किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में क्रेता के समस्त अधिकार समाप्त हो जाएँगे तथा हम यहाँ दिये गये समस्त दायित्व एवं वचनों से मुक्त तथा उन्मोचित हो जाएँगे। इस गारंटी के अन्तर्गत हमारे दायित्व हमारे विधान या संविदाकार के फलस्वरूप होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावी नहीं होंगे।

(मुद्रा तथा हस्ताक्षर)

..... बैंक के लिये तथा उसकी ओर से

दिनांक..... माह..... वर्ष.....20

# निविदा फार्म

फॉर्म क्र. डी.पी.एस.पी. 15

दूरभाष

ई-मेल :

फैक्स क्र. निविदा क्रमांक डी.पी.एस./आई.आर.पी.यू./इम्पो/

मेसर्स .....

.....

.....

प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि

भारतीय मानक समय के अनुसार 16.30 बजे तक

आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव क्र.

दिनांक

भारत के राष्ट्रपति

(निदेशक, क्रय एवं भण्डार के माध्यम से)

परमाणु ऊर्जा विभाग

इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार इकाई

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाक - केट, इन्दौर - 452 013 (म.प्र.)

(भारत)

प्रिय महोदय,

मैं / हमने फार्म क्र. डी.पी.एस.पी.12 में उल्लेखित आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिये निविदा संबंधी शर्तें तथा ठेके की सामान्य शर्तें तथा ठेके की विशेष शर्तें समझ ली हैं तथा निविदा दस्तावेजों के अनुभाग 1 तथा / या अनुभाग 2 में दिये गये ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए निविदा दस्तावेजों में भाग 3 में समाविष्ट निविदा विनिर्देशों के अनुरूप सामान की आपूर्ति करने के लिये तैयार हैं।

1\* 1\* आपको स्वतंत्रता है कि आप हमारे द्वारा प्रस्तावित सामान की मदों में से एक या एकाधिक स्वीकार करें तथा मैं / हम क्रयदेश / ठेके में निर्दिष्ट किये गये अनुसार सामान की आपूर्ति करेंगे।

या

2\* \* मैं / हम निविदा दस्तावेजों में भाग - 3 में निहित विनिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव जमा करने की स्थिति में नहीं हैं / हैं इसलिये आपके विचारार्थ वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।

3. निविदा दस्तावेजों के भाग 3 में निहित विनिर्देशों का तकनीकी अंतर संबंधी विवरण निविदा फॉर्म के संलग्नक ए में दिया गया है तथा निविदा दस्तावेजों के भाग 3 में निहित ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तों में प्रस्तावित भिन्नता का विवरण निविदा फार्म के संलग्नक बी में दिया गया है।

4. मैं / हम प्रस्तावित आपूर्ति संबंधित समस्त लीफलेट / कैटलॉग आदि भी संलग्न कर रहा हूँ / रही हूँ / रहे हैं।

भवदीय

निविदाकार की मुहर तथा हस्ताक्षर

संलग्नक :

तकनीकी विनिर्देशों से भिन्नता विषयक संलग्नक "ए"

ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तों से अन्तर संलग्नक "बी"

लीफलेट कैटलॉग

जो लागू न हो - उसे काट दें।

निविदा के लिए अनुसूची

फार्म क्र. डी.पी.एस.पी. - 15

प्रस्ताव क्र.

दिनांक :

निविदा क्रं.

प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि

भारतीय मानक समय 16.30 बजे तक

प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि से

120 दिन तक के लिए वैध अर्थात्

क्र. सं.	सामान / सामग्री का विवरण	मात्रा	इकाई	प्रति इकाई दर इन्दौर		निविदा की गई मात्रा का कुल मूल्य इन्दौर	
				एफ.ओ.बी.	सी.एण्ड एफ.	एफ.ओ.बी.	सी.एण्ड एफ.

उपरोक्त मूल्य के सम्मिलित कमीशन का प्रतिशत जो निम्नलिखित मैसर्स ..... को देय है।

इस राशि के बराबर की भारतीय रूपयों में देय राशि

अनुमानित भारत तथा परेषण का आकार

- \* प्रेषण का प्रस्तावित तरीका  
डिलेवरी अनुसूची  
लदान स्थल

निविदाकार की मुहर तथा उसके हस्ताक्षर

- \* प्रेषण की सर्वाधिक मितव्ययी प्रकार प्रस्तावित किया जाए अर्थात् निविदाकार समुद्र / वायु भाड़े से प्रेषण संस्तुत करना चाहता है। यह प्रस्तावित आपूर्ति के प्रकार के लिये अपनाए गए प्रेषण के सामान्य प्रकार पर निर्भर करता है।

# निविदा फार्म

फॉर्म क्र. डी.पी.एस.पी. 15

दूरभाष

ई-मेल :

फैक्स क्र. निविदा क्रमांक डी.पी.एस./आई.आर.पी.यू./इम्पो/

मेसर्स .....

प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि

.....

भारतीय मानक समय के अनुसार 16.30 बजे तक

.....

आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव क्र.

दिनांक

भारत के राष्ट्रपति

(निदेशक, क्रय एवं भण्डार के माध्यम से)

परमाणु ऊर्जा विभाग

इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार इकाई

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाक - केट, इन्दौर - 452 013 (म.प्र.)

(भारत)

प्रिय महोदय,

मैं / हमने फार्म क्र. डी.पी.एस.पी.12 में उल्लेखित आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिये निविदा संबंधी शर्तें तथा ठेके की सामान्य शर्तें तथा ठेके की विशेष शर्तें समझ ली हैं तथा निविदा दस्तावेजों के अनुभाग 1 तथा / या अनुभाग 2 में दिये गये ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए निविदा दस्तावेजों में भाग 3 में समाविष्ट निविदा विनिर्देशों के अनुरूप सामान की आपूर्ति करने के लिये तैयार हैं।

1\* 1\* आपको स्वतंत्रता है कि आप हमारे द्वारा प्रस्तावित सामान की मर्चों में से एक या एकाधिक स्वीकार करें तथा मैं / हम क्रयादेश / ठेके में निर्दिष्ट किये गये अनुसार सामान की आपूर्ति करेंगे।

या

2\* \* मैं / हम निविदा दस्तावेजों में भाग - 3 में निहित विनिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव जमा करने की स्थिति में नहीं हैं / हैं इसलिये आपके विचारार्थ वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।

3. निविदा दस्तावेजों के भाग 3 में निहित विनिर्देशों का तकनीकी अंतर संबंधी विवरण निविदा फॉर्म के संलग्नक ए में दिया गया है तथा निविदा दस्तावेजों के भाग 3 में निहित ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तों में प्रस्तावित भिन्नता का विवरण निविदा फार्म के संलग्नक बी में दिया गया है।

4. मैं / हम प्रस्तावित आपूर्ति संबंधित समस्त लीफलेट / कैटलॉग आदि भी संलग्न कर रहा हूँ / रही हूँ / रहे हैं।

भवदीय

निविदाकार की मुहर तथा हस्ताक्षर

संलग्नक :

तकनीकी विनिर्देशों से भिन्नता विषयक संलग्नक "ए"

ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तों से अन्तर संलग्नक "बी"

लीफलेट कैटलॉग

जो लागू न हो - उसे काट दें।

निविदा के लिए अनुसूची

फार्म क्र. डी.पी.एस.पी. - 15

प्रस्ताव क्र.

दिनांक :

निविदा क्रं.

प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि  
भारतीय मानक समय 16.30 बजे तक

प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि से  
120 दिन तक के लिए वैध अर्थात्

क्र. सं.	सामान / सामग्री का विवरण	मात्रा	इकाई	प्रति इकाई दर इन्दौर		निविदा की गई मात्रा का कुल मूल्य इन्दौर	
				एफ.ओ.बी.	सी.एण्ड एफ.	एफ.ओ.बी.	सी.एण्ड एफ.

उपरोक्ता मूल्य के सम्मिलित कमीशन का प्रतिशत जो निम्नलिखित मैसर्स ..... को देय है।

इर राशि के बराबर की भारतीय रूपयों में देय राशि

अनुमानित भारत तथा परेषण का आकार

- \* प्रेषण का प्रस्तावित तरीका  
डिलेवरी अनुसूची  
लदान स्थल

निविदाकार की मुहर तथा उसके हस्ताक्षर

- \* प्रेषण की सर्वाधिक मितव्ययी प्रकार प्रस्तावित किया जाए अर्थात् निविदाकार समुद्र / वायु भाड़े से प्रेषण संस्तुत करना चाहता है। यह प्रस्तावित आपूर्ति के प्रकार के लिये अपनाए गए प्रेषण के सामान्य प्रकार पर निर्भर करता है।



## महत्वपूर्ण बिंदु :

1. कृपया भारत में आपके प्रतिनिधी को देय एजेंसी कमीशन की कुल राशि जो कि निविदा-मूल्य में सम्मिलित हैं, को पृथक रूप से अपने प्रस्ताव में दर्शायें।
2. प्रेषित प्रस्ताव के साथ विनिर्दिष्ट साहित्य / कैट लॉग दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिये।
3. पैकिंग के बाद प्रेषण का अनुमानित वजन व आकार प्रस्ताव में उल्लेखित किया जाना चाहिये ताकि प्रेषण-मार्ग सुनिश्चित किया जा सके साथ ही यह उल्लेखित करें कि कौन सा प्रेषण-मार्ग सस्ता होगा।
4. निविदाकार अपने प्रस्ताव में प्रेषण का वायुमार्ग FCA.....वायुमार्ग (भारत के लिये वायुमार्ग) उल्लेखित करेगा। क्रेता का दायित्व केवल सामान की कीमत के भुगतान तक सीमित होगा। आपूर्तिकर्ता के देश में उसके द्वारा किया गया कोई भी खर्च (आपूर्तिकर्ता द्वारा उल्लेखित वायुमार्ग, जो उसने अपने प्रस्ताव में दर्शाया था - में होने वाला खर्च) आपूर्तिकर्ता स्वयं वहन करेगा। क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता के देश में अधिकृत एजेन्ट की सेवाएँ आपूर्तिकर्ता द्वारा ली जा सकती हैं। इस अधिकृत एजेन्ट की नाम, पता सहित सम्पूर्ण जानकारी क्रय-आदेश के मुखपृष्ठ पर वर्णित होगी किसी कारण वश यदि निविदाकर्ता एफ.सी.ए. निर्धारित वायु मार्ग से माल की पूर्ति करने में अयोग्य हैं तथा उसने अपने प्रस्ताव में सामान की दरें एक्स.वर्क्स, एफ.ओ.बी. आदि उल्लेखित की हैं तब उसे निर्धारित वायु मार्ग तक सामान की सुपुर्दगी करने में होने वाले समस्त खर्चों को अपने प्रस्ताव में अलग से दर्शाना होगा।

वायुमार्ग से माल प्रेषण के लिये निम्नलिखित देशों की व उनके वायुमार्गों की सूची दी गयी है:-

देश	वायुमार्ग
1. जर्मनी	फ्रैंकफर्ट
2. फ्रांस	पेरिस
3. नीदरलैण्डस	अमस्टरडम
4. इटली	मिलन
5. यू.एस.ए.	न्यूयार्क
6. आस्ट्रिया	वियाना
7. यू.ए.ई.	दुबई
8. जापान	टोक्यो
9. रूसिया	मास्को
10. ताईवान	ताईपे
11. कनाडा	मॉन्ट्रियल
12. चाइना	शंघाई
13. डेनमार्क	कोपनघन
14. आस्ट्रेलिया	सिडनी
15. हांगकांग	हांगकांग
16. सिंगापुर	सिंगापुर
17. स्वीट्जरलैण्ड	ज्यूरिक
18. यू.के.	लंदन
19. लिथुयाना	विलनियस
20. कोरिया	सियोल
21. मलेशिया	कुआलालम्पुर
22. ईजराईल	तेलअवीव
23. थाईलेण्ड	बैंकॉक
24. स्वीडन	स्टॉकहोम
25. बेलजियम	ब्रसेल्स
26. स्पेन	बासिलोना
27. फिनलैंड	हेलसिंकी
28. हंगरी	बुडापेस्ट
29. आयरलैंड	डबलिन
30. पोलैंड	वारसॉ

## 1. संस्थापन तथा प्रचलन :-

(क) जब भी निविदाकर्ता द्वारा उपकरण के संस्थापन तथा प्रचलन अथवा इसके लिए पर्यवेक्षण हेतु निविदा के प्रति क्रेता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो निविदाकर्ता को भंडार की आपूर्ति का मूल्य तथा प्रभार एवं संचालन/प्रचालन अथवा इसके पर्यवेक्षण की शर्तों को अलग से और स्पष्ट रूप से उद्धृत करना चाहिए. संस्थापन तथा प्रचालन के प्रभारों को भंडार के मूल्य में शामिल नहीं करना चाहिए.

(ख) वे निविदाएं जिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संस्थापन तथा प्रचालन सम्मिलित हैं, उनके लिए निविदाकर्ता द्वारा अभिज्ञेय प्रभारों को उद्धृत किए जाते हैं, उन्हें भारत के आयकर-अधिनियम के तहत आयकर देयता लागू होगी जो वर्तमान में संस्थापन तथा प्रचालन प्रभार के 20% है .

## 2. निष्पादन बॉन्ड बैंक गारंटी :-

संयंत्र, मशीनरी, उपकरण इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति के मामले में, निविदाकर्ता को वारंटी अवधि के दौरान संयंत्र, मशीनरी, उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के प्रति क्रेता के प्रोफार्मा के अनुसार वारंटी अवधि की वैधता तक उचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टैंप पेपर पर राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित षेड से निविदा के मूल्य के 10% की निष्पादन बॉन्ड बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए, निविदाकर्ता द्वारा निष्पादन बॉन्ड बैंक गारंटी को प्रस्तुत न करने पर निविदा के संपूर्ण मूल्य के 10% के बराबर की राशि भंडार की वारंटी अवधि की वैधता तक सुरक्षित रखी जाएगी. जिन निविदाकर्ताओं के प्रस्ताव ऐसी निष्पादन बॉन्ड बैंक गारंटी देने या 10% आदेश मूल्य को रखने से सहमत नहीं हैं उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा.

## 3. सीमा-शुल्क ड्यूटी

परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत अनुसंधान संस्थानों के लिए खरीद के संबंध में और सीमा-शुल्क ड्यूटी रियायत को पाने के लिए समुचित प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र क्रेता प्राप्त करेगा। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 23.07.1996 के सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 51/97-सीमा शुल्क के दिनांक 01.03.2002 के संशोधित संख्या : 24/2002-सीमा-शुल्क के अनुसार, क्रेता 5% का रियायत दर पर सीमा-शुल्क ड्यूटी के निर्धारण के लिए हकदार है।

चूंकि परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक एकक, दोनों के लिए यह निदेशालय क्रय मामलों का निपटारा करता है, यदि भारतीय आपूर्तिकर्ता/एजेंट आयातित भंडार की आपूर्ति के लिए भारतीय रूपयों में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो वह मूल्य को संज आन हाई-सीज के लिए अर्थात् सीआईएफ पोर्ट के गंतव्य स्थान (सीआईएफ मुंबई, सीआईएफ चेन्नै आदि) के लिए मूल्य को उद्धृत करना चाहिए। तथापि, उसके लिए क्रेता द्वारा भारतीय बीमा कंपनी से ट्रांजिट बीमा नामित करा लेना चाहिए ताकि भारत में किसी भी स्थान या दुनिया में कहीं भी बीमा का फायदा ले सकें. उक्त मामलों में परेषण की सीमा-शुल्क निकासी की व्यवस्था क्रेता द्वारा की जाएगी।

जहाँ भी, आवश्यकता के अनुसार देशीय तथा उसके साथ आयातित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो, समय-समय पर क्रय निर्णय लेने के दौरान लोडिंग के पश्चात सीमा-शुल्क ड्यूटी तथा अन्य प्रभार जो भी लागू हों को टोटल लेंडेंड कास्ट के आधार पर आयातित भंडार के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

## 4. क्रय वरीयता

यदि कोई केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, भारत सरकार के नीति के अनुसार मूल्यांकन के समय, निजी सेक्टर एककों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो क्रय वरीयता के लिए हकदार होंगे बशर्ते कि उनका प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त है और उद्धृत किए गए मूल्य में भी भिन्नता है और 10% के अंदर न्यूनतम तकनीकी रूप से प्रस्ताव स्वीकार्य है तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम न्यूनतम ठेकेदार से मूल्य मेल खाता हो।

## 5. मूल्य वरीयता

यदि एन.एस.आई.सी. के पास लघु उद्योग एकक पंजीकृत है, प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त हो तो तब वह मूल्य वरीयता के हकदार होंगे बशर्ते कि भारत सरकार के नीति के अंतर्गत मूल्यांकन के समय जब वे बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

## 6. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय एजेंट से प्राप्त प्रस्ताव

यदि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय आपूर्तिकर्ता/भारतीय एजेंट ठेका प्रस्तुत करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज ठेके के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया तो उनका प्रस्ताव अनदेखा किया जाएगा।

(क) प्रधानों और भारतीय एजेंटों के बीच करार की एक फोटो प्रति जिसमें प्रतिशत दर्शाया गया है या एजेंसी को भुगतान की जाने वाली कमीशन और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय एजेंटों को प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र।

(ख) डीजीएसएंडडी या इस निदेशालय की (क्रभनि) के पंजीकृत प्रमाण-पत्र की एक फोटो कॉपी।

(ग) भारतीय एजेंट द्वारा किया गया बिक्री के बाद सेवा का प्रकार

विदेशी मुखिया/आपूर्तिकर्ता की ओर से भारतीय एजेंटों को ठेके का मूल्य उद्धृत करने की अनुमति है।

## 7. सशर्त छूट :-

यदि निविदाकर्ता एक निश्चित अवधि के अंदर प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा निश्चित भुगतान शर्तों, सुपुर्दगी मात्रा आदि के लिए कोई सशर्त छूट का प्रस्ताव देता है तो क्रेता उसके प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय ऐसी सशर्त छूट पर विचार नहीं करेगा।

## 8. पिछला निष्पादन :-

यदि किसी निविदाकर्ता का पिछला कार्य निष्पादन, मात्रा, सुपुर्दगी, वारंटी दायित्वों के बारे में या ठेके की शर्तें पूरी करने के बारे में संतोषजनक नहीं पाया गया है तो उनके प्रस्ताव क्रेता द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं।

## 9. क्षमता और वित्तीय स्थिति :-

यदि ऐसा पाया जाता है कि निविदाकर्ता के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा, क्षमता, योग्यता नहीं है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है तो ऐसे निविदा प्रस्ताव क्रेता द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं।

## 10. अंतिम उपभोक्ता का विवरण :-

यदि किसी आदेश के संबंध में निर्यातक देश के नियमानुसार निर्यात परमिट, लाईसेंस, प्राधिकरण आदि की आवश्यकता पड़ती हो तो उसे प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस बारे में क्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा।

जहाँ भी ठेकेदार की अंतिम उपभोक्ता का प्रमाण-पत्र चाहिए वहाँ उसका उल्लेख प्रस्ताव में ही स्पष्ट रूप से करना होगा और क्रेता नीचे दिए गये प्रपत्र के अनुसार अंतिम उपभोक्ता प्रमाण-पत्र देगा। इस बारे में क्रेता कोई अन्य दस्तावेज/घोषणा नहीं देगा।

क्रेता इस ठेके के आधार पर खरीदे गए माल का निरीक्षण अपने संस्थापन में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए जाने की भी अनुमति नहीं देगा जब तक कि ठेके में इस बात पर खासतौर से सहमति न दी गई हो :-

### अंतिम उपभोक्ता विवरण :

हम एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक ..... के हमारे क्रय आदेश संख्या क्रमनि/..... के अनुसार मेसर्स ..... से खरीदे जा रहे ..... माल/मदों का उपयोग ..... के लिए किया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस मद/इन मदों का उपयोग किसी रासायनिक जैविक अथवा सामूहिक संहार के हथियारों के अभिकल्पन, विकास, निर्माण अथवा परीक्षण या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हम यथा-आवश्यक संबंधित प्राधिकारियों की पूर्वानुमति लिए बिना इस मद का पुनर्निर्यात नहीं करेंगे।

## 11. गोपनीयता :

क्रेता द्वारा इस निविदा अथवा ठेके के संबंध में दिए गए आरेखों, विशिष्टियों, आदिरूपों, नमूनों या किसी भी अन्य पत्राचार/ब्योरा/सूचना आदि को ठेकेदार गुप्त रखेगा और क्रेता द्वारा पहले से दी गई लिखित सहमति के बगैर यह किसी अन्य व्यक्ति/फर्म के सामने न तो प्रकट करेगा और न देगा। यह बात उप-ठेकेदारों, परामर्शदाताओं सलाहकारों और ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

## 12. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अधीन प्रतिबंधित सूचना श्रेणियाँ और सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) 1923 की धारा 5 के अधीन सरकारी भेद

उपरोक्त नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर ठेकेदार, उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार और ठेकेदार के कर्मचारियों के विरुद्ध उपरोक्त कानूनों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

## 13. अनुमति लिए बिना, प्रचार हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का उपयोग करने पर पाबंदी :

क्रेता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार, उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारी परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का उपयोग, किसी सार्वजनिक माध्यम जैसे प्रेस, रेडियो, टी.वी. अथवा इंटरनेट पर किसी प्रचार के लिए नहीं करेंगे।

## 14. क्रेता की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन :

ठेकेदार, क्रेता द्वारा लागू सुरक्षा नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और जहाँ भी क्रेता द्वारा प्राधिकृत किया जाए वहाँ क्रेता के परिसर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति लेने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करेगा जिनमें पुलिस तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी शामिल है।

## 15. आईएसआई चिन्ह वाले उत्पाद :-

आईएसआई चिन्ह वाले उत्पादों को वरीयता दी जाएगी। निम्नलिखित श्रेणियों के मदों के बारे में क्रेता केवल आईएसआई चिन्ह वाले उत्पादों के प्रस्तावों पर ही विचार करेगा :

1. अभिशामक उपकरण
2. भवन निर्माण सामग्री
3. पी.वी.सी. पाइप और फिटिंग्स
4. खेती के औजार तथा छिड़काव के यंत्र
5. चिकित्सा उपकरण (जैसे :- सिरिज, सुइयों, रक्तचाप मापक यंत्र आदि)

## 16. दरें अंकों और शब्दों में भी लिखी जाएं :

निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दी गई दरें अंकों और शब्दों दोनों में लिखी गई हैं, ऐसा न करने पर निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं।